1: संघ सरकार के वित्त लेखे 2012-13 का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संसद में संघ प्रस्तुत किए गए सरकार के वार्षिक लेखे, जिसमें वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों से बनाये जाते हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे से प्राप्तियों तथा भुगतानों की विवरणों को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में व्यय तथा परिणामत: आधिक्य/बचत के लिए स्पष्टीकरणों को दर्शाते हैं।

पेटिका 1.1: संघ सरकार निधियां एवं लोक लेखा

समेकित निधि	•संघ सरकार द्वारा प्राप्त किये गये समस्त राजस्व, राजकोषीय बिलों के निर्गम द्वारा उठाए गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन मिलकर एक समेकित निधि निर्मित करते हैं जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित की गई भारत की समेकित निधि कहा जाता है।
आकस्मिक निधि	•संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में है जो उन्हें, संसद से प्राधिकार प्राप्त हो जाने तक अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। •इस प्रकार किये गये व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है। जिसके पश्चात आकस्मिकता आहरित अग्रिमों की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।
लोक लेखा	•समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। •इस प्रकार प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण उसमें से किए जाते हैं।

1.1.1 वर्ष 2013-14 सकल घरेलु उत्पाद (स.घ.उ.) वृद्धि[1] से मापे गये आर्थिक विकास में सुधार के लिये उल्लेखनीय रहा जिस दौरान विकास दर पिछले वर्ष के 5.1 *प्रतिशत* की तुलना में 2012-13 में 6.9 *प्रतिशत* रही। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (के.सां.का.) ने नई स.घ.उ. श्रृंखला जारी की जिसमें आधार वर्ष 2004-05 से 2011-12 स्थांनातरित कर दिया गया। वस्तुत: पिछले वर्ष के अनुमान[2] की तुलना से 2011-12 के लिए स.घ.उ. के स्तर के लिए प्रमुख आकलन वास्तव में 2 *प्रतिशत* कम है।

2011-12 में स.घ.उ. के 5.86 *प्रतिशत* से 2012-13 में 4.95 प्रतिशत तथा 2013-14 में 4.44 *प्रतिशत* तक की गिरावट के साथ राजकोषीय घाटे के स्तर पर भी सुधार पाया गया था। वर्तमान वर्ष के दौरान यह सुधार प्रमुख रूप से गैर ऋण प्राप्ति में पिछले वर्ष से 14.73 *प्रतिशत* की वृद्धि तथा वास्तविक व्यय में 10.73 *प्रतिशत* की कम वृद्धि हुआ है।

इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय वित्त लेखे में सम्मिलित आंकड़ों पर आधारित संघ सरकार के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणात्मक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। **तालिका 1.1** वर्ष 2013-14 के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों संवितरणों तथा उधारों की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के लेन-देन का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां		व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण	
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)				
राजस्व प्राप्तियां*	1217794 (1055891)	**राजस्व घाटा 357303 (364582)**	राजस्व व्यय	1575097 (1420473)
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	29368 (25889)		पूंजीगत व्यय	168844 (150382)
कर्जों की वसूली	24549 (26624)		ऋण तथा अग्रिम	31000 (32063)
कुल गैर ऋण प्राप्तियां	1271711 (1108404)	**राजकोषीय घाटा 503230 (494514)**	वास्तविक व्यय	1774941 (1602918)
लोक ऋण	3994966 (3968038)		लोक ऋण	3511291 (3426893)
भा.स.नि. में कुल प्राप्तियां	5266677 (5076442)	**भा.स.नि. में कमी 19555 (अधिशेष 46631)**	भा.स.नि. से कुल व्यय	5286232 (5029811)

[1] 30 जनवरी 2015 को सी.एस.ओ. द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, स्थिर (2011-12) मूल्यों पर स.घ.उ. के आकलनों पिछले वर्ष से 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्तमान मूल्यों पर यह वृद्धि 13.6 *प्रतिशत* तक बढ़े।

[2] आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15

आकस्मिकता निधि				
प्राप्तियां	0		विनियोग	0
लोक लेखा				
लघु बचतें	407541 (381315)		लघु बचतें	389826 (375092)
आरक्षित एवं निक्षेप निधि	127520 (117117)		आरक्षित एवं निक्षेप निधि	124057 (117529)
जमा	113712 (113974)		जमा	101028 (107536)
अग्रिम	37895 (33424)		अग्रिम	25035 (37140)
उचन्त लेख	2744 (11832)		उचन्त लेखे	13110 (16275)
प्रेषण	3548 (3122)		प्रेषण	1182 (2831)
कुल लोक लेखे	692960 (660784)	**लोक लेखा में अधिशेष 38722 (4381)**	कुल लोक लेखे	654238 (656403)
आरंभिक रोकड़ शेष	68451 (17439)	**नकद रोकड़ शेष में वृद्धि 19167 (51012)**	रोकड़ अंत:शेष अंत नकद	87618 (68451)
लोक लेखा आधिक्य (आपूर्ति)		38722	(भा.स.नि. में) घाटा+रोकड़ शेष में वृद्धि	
वार्षिक देयताएं (आपूर्ति)		517537	(ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष	
वार्षिक देयताएं (मांग)		517537	राजकोषीय घाटा (+) रोकड़ में वृद्धि (-) (अग्रिम+ उचन्त+ प्रेषण) का निवल संवितरण	

**राज्य को सौंपे गये करों एवं शुल्कों के आंकड़े शामिल नहीं है (2013-14 के लिए ₹3,18,230 करोड़, 2012-13 के लिए ₹2,91,547 करोड़)*

नोट: (1) कोष्ठक में आंकड़े वर्ष 2012-13 हेतु समान आंकड़ों को दर्शाते हैं।

(2) 2013-14 के लिए राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय ₹6,598 करोड़ से कम हैं क्योंकि करों की वापसी पर ब्याज पर हुए व्यय को त्रुटिवश व्यय के बजाय 'राजस्व में कटौती' के रूप में दर्शाया गया था। विवरण के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के पैरा 4.1 का संदर्भ लें।

पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय में हुई ₹1,54,624 करोड़ (10.89 *प्रतिशत*) की वृद्धि के प्रति निवल राजस्व प्राप्ति में ₹1,61,903 करोड़ (15.33 *प्रतिशत*) की वृद्धि द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान संघ सरकार के राजस्व घाटे को ₹7,279 करोड़ से कम करने में मदद मिली परन्तु उसी अवधि के दौरान ₹17,399 करोड़ की वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा पिछले वर्षों से ₹8,716 करोड़ पूंजीगत व्यय में अधिक हो गया। 2013-14 के दौरान लोक ऋण के रूप में सरकार द्वारा सकल उधार पिछले वर्ष की तुलना में ₹26,928 करोड़ अधिक था।

भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में ₹19,555 करोड़ के घाटे के एवं लोक लेखे में ₹38,722 करोड़ के अधिशेष के संयुक्त प्रभाव का परिणाम वित्तीय

वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर संघ सरकार के रोकड़ शेषों में ₹19,167 करोड़ की वृद्धि में हुआ।

1.1.2 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान मुख्य वित्तीय मापदंडों पर निष्पादन

तेरहवें वित्त आयोग (13 वें वि.आ.) की रिपोर्ट द्वारा उल्लिखित आकलनों की तुलना में सकल घरेलु उत्पाद (स.घ.उ.) की प्रतिशतता के रूप में संघ सरकार हेतु मुख्य राजकोषीय सकलों को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 1.2: अनुशंसित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ तथा वास्तविक प्रदर्शन

(स.घ.उ. की प्रतिशतता)

मापदंड	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित				वित्तीय लेखे के अनुसार वास्तविक निष्पादन		
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व घाटा	2.3	1.2	0.0	-0.5	4.47	3.65	3.15
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.6	0.8	0.9	1.0	0.62	0.53	0.48
पूंजीगत व्यय	3.1	3.8	3.9	4.5	2.01	1.83	1.76
राजकोषीय घाटा	4.8	4.2	3.0	3.0	5.86	4.95	4.44
ऋण (वर्ष के अंत तक समायोजित देयताएं)	52.5	50.5	47.5	44.8	47.00	47.12	46.36

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, ऋणों के अलावा कोई भी मापदंड 13वें वि.आ. द्वारा 2013-14 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के समीप नहीं था। वर्ष 2013-14 हेतु राजस्व घाटा स.घ.उ. का 3.15 प्रतिशत था। 13वें वि.आ. द्वारा निर्धारित पूर्ण रूप से समाप्त कर दिये जाने का अनुमान था। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति तथा पूंजीगत व्यय में भी पिछले वर्ष की तुलना में तुलनात्मक खराबी स्पष्ट थी। वर्तमान वर्ष में पूंजीगत व्यय 13वें वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य के आधे से भी कम था। वर्तमान वर्ष में ऋण स.घ.उ. के 46.36 प्रतिशत पर रहा जो 47.5 प्रतिशत के अनुशंसित लक्ष्य से कम था तथा इसने पिछले वर्षों से 76 आधार अंकों की कटौती भी देखी गयी।

1.2 संसाधनों का सृजन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो संघ सरकार के संसाधन निर्मित करते हैं। कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा कुछ बाह्य एजेंसियों से सहायता अनुदान को मिलाकर राजस्व प्राप्तियां बनती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के दो संघटक हैं-ऋण प्राप्तियां जो भविष्य में पुनर्भुगतान बाध्यताओं को सृजित करती है तथा गैर-ऋण प्राप्तियां जिनमें विनिवेश तथा कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियां शामिल है जिससे वास्तविक अथवा संभावित परिसंपत्तियों में कटौती होती हैं।

जैसा कि **चार्ट 1.3** से देखा जा सकता है कि स.घ.उ. की तुलना में सकल प्राप्तियों के अनुपात में पिछले तीन वर्षों में स्थिर गिरावट दर्शाई है तथा यह अनुपात स.घ.उ. के 55.34 *प्रतिशत* पर रहा। वर्ष 2012-13 में 15.59 *प्रतिशत* की तुलना में सकल राजस्व प्राप्तियों में केवल 14 *प्रतिशत* की वृद्धि 2013-14 परन्तु, सकल प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान 4.13 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। सकल प्राप्ति की तुलना में सकल ऋण प्राप्ति 2013-14 हेतु 63.64 *प्रतिशत* रही जो 2012-13 में 65.82 प्रतिशत थी इससे बजट को संतुलित करने हेतु ऋण पर निरंतर निर्भरता का पता चलता है।

तालिका 1.3: संसाधन एवं स.घ.उ.

(₹करोड़ में)

वर्ष	सकल राजस्व प्राप्तियां* (1)	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (2)	सकल ऋण प्राप्तियां (3)	लोक लेखे में सकल उपार्जन (4)	सकल प्राप्तियां (1+2+3 +4) (5)	स.घ.उ.@ (6)	सकल प्राप्तियां/स.घ.उ. (7)
2011-12	1165691 (20%)	54906 (1%)	4063177 (69%)	620667 (11%)	5904441	8832012	66.85
2012-13	1347438 (22%)	52513 (1%)	3968038 (66%)	660784 (11%)	6028773	9988540	60.36
2013-14	1536024 (24%)	53917 (1%)	3994966 (64%)	692960 (11%)	6277867	11345056	55.34

राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े (2013-14 के लिए, ₹3,18,230 करोड़) सम्मिलित हैं । इस घटक को हटाने से ₹12,17,794 करोड़ का निवल राजस्व प्राप्तियां होती हैं। जैसा कि **तालिका 1.1 में दिखाया गया है।*

@ स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (के.सां.का.) सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रेस नोट दिनांक 30 *जनवरी* 2015

चार्ट 1.1: सकल प्राप्तियां एवं स.घ.उ. से सम्बन्धित प्रवृत्ति

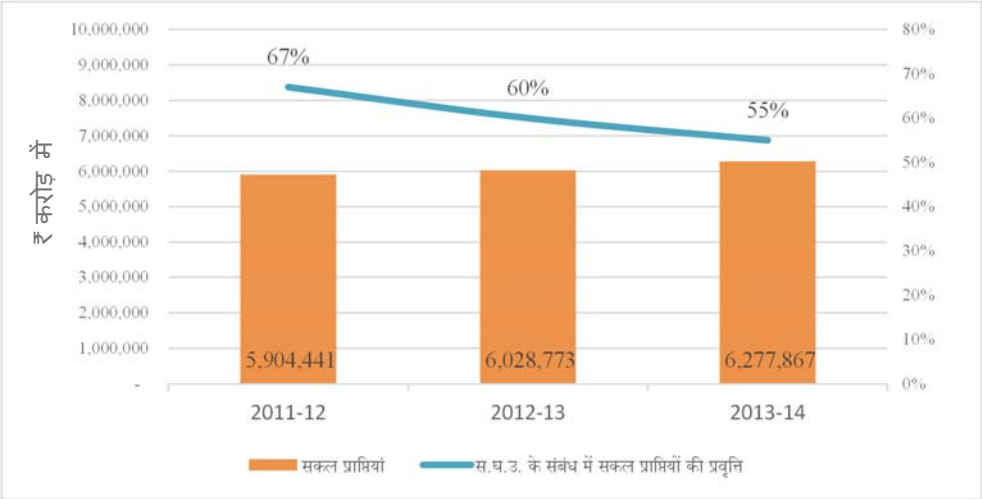

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां जिसके प्रमुख संघटक कर एवं गैर-कर प्राप्तियां होती हैं, राजस्व की सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं क्योंकि इन प्राप्तियों द्वारा किसी तरह की भविष्य देयताओं की बाध्यता उत्पन्न नहीं होती। राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की चर्चा आगामी पैरों में की गई है।

1.2.2 प्रमुख राजस्व संबंधित मापदंडों के बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर

यथार्थवादी बजटीय अनुमानों का निरूपण व्यय नियंत्रण तथा रोकड़ एवं ऋण प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण है। चार्ट 1.2 दर्शाता है कि कर राजस्व संघटकों से सकल प्राप्तियां अनुमानित स्तर से कम थी। विशेष रूप से, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर बजट अनुमानें से क्रमश: 13.90 *प्रतिशत* तथा 14.08 *प्रतिशत* पिछड़ गए। गैर कर राजस्व क्षेत्र में ब्याज तथा लाभ एवं लाभांश से प्राप्तियां ब.अ. से क्रमश: 33.46 *प्रतिशत* तथा 22.44 *प्रतिशत* अधिक थीं।

चार्ट 1.2 बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक मुख्य राजस्व संघटक

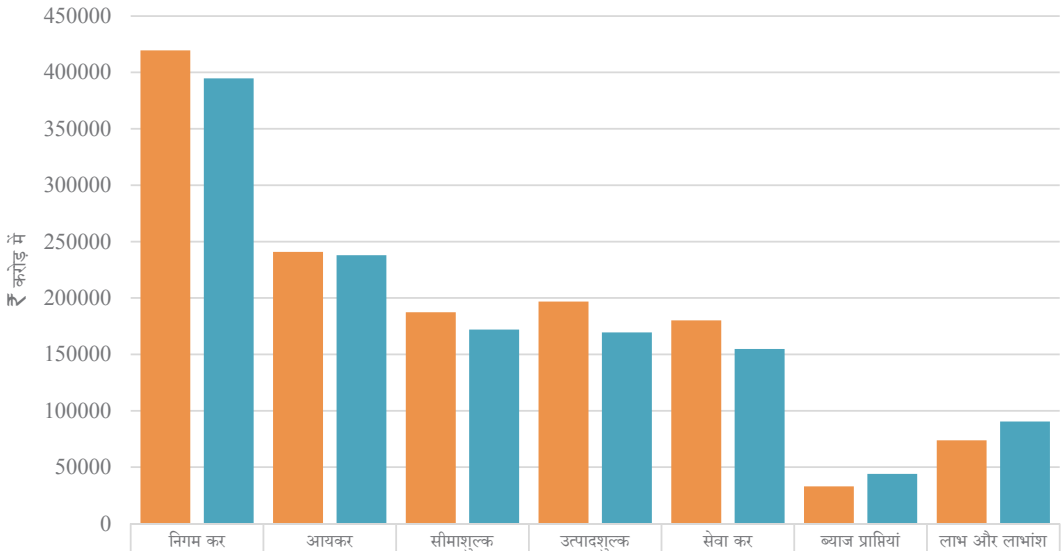

1.2.3 कर राजस्व

चार्ट 1.4: कम राजस्व के घटक (सकल)

(₹करोड़ में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व#	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य *	स.घ.उ.
2011-12	889118	322816	164525	149328	144901	97509	10039	8832012
2012-13	1036461	356326	196844	165346	175845	132601	9499	9988540
2013-14	1138996	394678	237870	172085	169455	154780	10128	11345056
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)								
2011-12	12.08	8.08	18.28	9.95	5.23	37.31	(-) 8.64	@
2012-13	16.57	10.38	19.64	10.73	21.36	35.99	(-)5.38	13.09
2013-14	9.89	10.76	20.84	4.08	(-)3.63	16.73	6.62	13.58

 # राज्यों / सं.शा.क्षे.को दिए गए करों/शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं।

** अन्य करों में होटल प्राप्ति कर, ब्याज कर, संपत्ति कर, उपहारकर, अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर, बैंकिंग रोकड़ लेन-देन कर आदि शामिल हैं।*

@ स.घ.उ. का आधार वर्ष 2011-12 के रूप में परिवर्तन होने के कारण आंकड़ा उपलब्ध नहीं।

जैसा कि **तालिका 1.4** से स्पष्ट है उत्पाद शुल्कों की वृद्धि दर जो 2012-13 में 21.36 *प्रतिशत* से 2013-14 में (-) 3.63 *प्रतिशत* तक रह गयी, में गिरावट

के रूख के बावजूद कर राजस्व क्षेत्र के अन्य संघटकों में समग्र वृद्धि के परिणामस्वरूप सकल कर राजस्व में 9.89 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। सकल करों में वृद्धि वर्तमान वर्ष हेतु स.घ.उ. की वृद्धि से कम थी जो पिछले वर्ष का रूख पलटने का संकेत देता है। आयकर तथा निगम कर ने 2011-14 के दौरान एक निरंतर वृद्धि का रूख बनाये रखा। आयकर की वृद्धि दर (20.84 *प्रतिशत*) 2013-14 में कर राजस्व की वृद्धि दर (9.89 *प्रतिशत*) से अधिक था। इसने पिछले लगातार तीन वर्षों के दौरान स.घ.उ. को वृद्धि दर को भी पीछे छोड़ा। सेवा कर में वृद्धि 2012-13 में 35.99 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 16.73 प्रतिशत तक नीचे आ गयी।

2012-13 तथा 2013-14 के दौरान कर राजस्वों के घटकों के सापेक्ष योगदानों की तुलना, आयकर (दो *प्रतिशत*) तथा निगम कर (एक *प्रतिशत*) अंशों में आंशिक वृद्धि को दर्शाती है। जैसा कि चार्ट 1.3 में स्पष्ट किया गया है, दूसरी ओर, उत्पाद शुल्क (दो *प्रतिशत*) तथा सीमा शुल्क (एक *प्रतिशत*) के हिस्सों में गिरावट थी।

चार्ट 1.3: कर राजस्व के घटक (सकल)

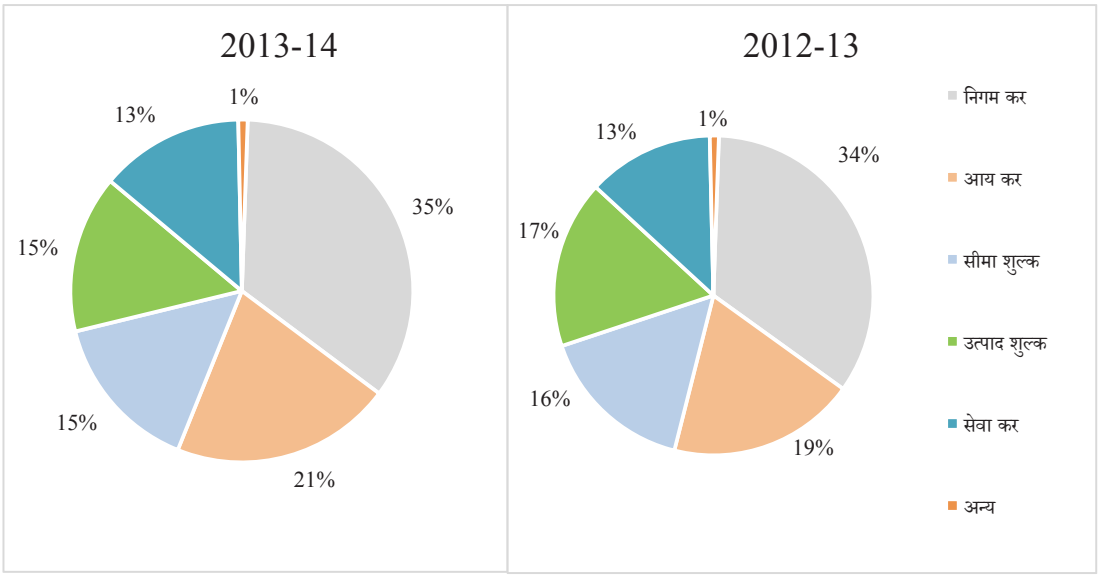

1.2.4 गैर-कर राजस्व

तालिका 1.5 दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान, गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा अंश (57 *प्रतिशत*) विभिन्न विभागों जो आम जनता को आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हैं। द्वारा लगाए गए उपभोक्ता प्रभारों से आया है। ब्याज प्राप्तियां गैर कर राजस्व का 11 *प्रतिशत* रही जबकि लाभांश तथा लाभ का योगादान लगभग 23 *प्रतिशत* रहा। गैर-कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर 2012-13 में 12.44 *प्रतिशत* से बढ़कर 2013-14 में 27.67 *प्रतिशत* हो गयी। यह मुख्यत: लाभांश एवं लाभ से प्राप्तियों (68.23 *प्रतिशत*) में महत्वपूर्ण वृद्धि सामाजिक सेवाओं के सिवाय लगभग सभी घटकों की प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि के कारण थी।

सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों ने सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण उपायों से ₹3,594 करोड़ की एक बार की प्राप्ति के कारण 2011-12 की तुलना में 2012-13 के दौरान 387.75 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की परंतु 2013-14 में यह 72.69 *प्रतिशत* नीचे आ गई। गैर-कर राजस्व की तुलना में सामाजिक सेवाओं के सापेक्ष अंश नगण्य रहा।

तालिका 1.5: गैर-कर राजस्व-उप संघटकों तथा प्रवृत्तियों की सापेक्ष संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैर कर राजस्व#	ब्याज प्राप्तियां	लाभ एवं लाभांश	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	शासकीय तथा अन्य कार्य**
2011-12	276573	40054	50609	988	158283	26639
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	18	नगण्य	57	10
2012-13	310977	38860	53762	4819	184662	28874
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	13	17	2	59	9
2013-14	397028	44027	90442	1316	227661	33582
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11	23	नगण्य	57	9
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
2011-12	(-)22.89	13.47	5.45	21.38	(-)36.24	1.20
2012-13	12.44	(-)2.98	6.23	387.75	16.67	8.39
2013-14	27.67	13.30	68.23	(-)72.69	23.29	16.31

नोट: सापेक्ष अंशों के आंकड़ों को निकटतम पूर्णांक तक दिखाया गया है इसलिए कुल योग हमेशा 100 *नहीं भी हो सकता है। नगण्य उन आंकड़ों को दर्शाता है जहां उप-घटक का अंश गैर-कर राजस्व के 0.5 प्रतिशत से कम है।*

 # अंतर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है। सामाजिक सेवाएं: शिक्षा, स्वास्थ्य जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि। आर्थिक सेवा: डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वनिकी, वृक्षारोपण, खाद्य संचयन तथा भंडारण, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता, प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, सा.क्षे.उ. तथा सरकारी विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रम की प्राप्तियां।

*** राजकोषीय सेवाएं तथा सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, रक्षा, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, सहायता-अनुदान तथा अंशदान आदि)*

2013-14 के दौरान, लाभांश एवं लाभ से प्राप्तियां ₹73,866 करोड़ की अनुमानित थीं जिसे बाद में संशोधित अनुमान चरण पर ₹88,188 करोड़ तक बढ़ा दिया परंतु वास्तविक प्राप्तियां ₹90,442 करोड़ की हुई जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 68.23 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वृद्धि हेतु उत्तरदायी मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम/क्रियाकलाप थे: (i) 'पेट्रोलियम से लाभ' जो 2012-13 में ₹9,366.61 करोड़ से 2013-14 में ₹11,368.67 करोड़ (21.37 *प्रतिशत*) तक बढ़ा (ii) सड़क एवं पुल-सड़कों पर पथकर जो 2012-13 में ₹3,894 करोड़ से 2013-14 से ₹5,144.67 करोड़ (32.12 *प्रतिशत*) तक बढ़ा (iii) अन्य संचार सेवाएं जो 2012-13 में ₹18,902 करोड़ से 2013-14 में ₹40,113.76 करोड़ (112.22 *प्रतिशत*) तक बढ़ा।

1.2.5 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

विविध पूंजीगत प्राप्तियों (बोनस शेयर, विनिवेश आदि) तथा ऋण एवं पेशगियों की वसूली से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, बनती हैं। तालिका 1.6 में विविध पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों तथा राज्य तथा संघ क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियों की वसूली का विवरण प्रस्तुत किया गया। 2012-13 के दौरान, विविध पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्तियां वर्तमान वर्ष की तुलना में बजट अनुमानों के अधिक निकट थीं। ऋणों की वसूली, पिछले वर्षों के जैसे बजट अनुमानों, से अधिक रही, जिससे आकलनों के निर्धारण में कमी पता चलती है।

तालिका 1.6 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति से वसूली

अवधि	विविध पूंजीगत प्राप्ति			ऋणों की वसूली		
	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक वसूली* (वा.प्रा.)	*वा.* की ब.अ. से प्रतिशतता	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक वसूली (वा.प्रा.)	*वा.व.* की ब.अ. से प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*		
2011-12	40000	16471	41.18	26510	36818	138.88
2012-13	30000	25408	84.69	23095	26624	115.28
2013-14	55814	29368	52.62	22054	24549	111.31

**बोनस शेयरों से प्राप्तियां शामिल नहीं हैं।*

1.3 व्यय विश्लेषण

भारत सरकार की समेकित निधि से तथा लोक लेखे से 2013-14 के लिए भारत सरकार के कुल संवितरण ₹ 59,40,470 करोड़ के थे। जैसा कि **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है, कुल संवितरण के तीन मुख्य घटक हैं।

चार्ट 1.4: कुल संवितरणों के घटक तालिका

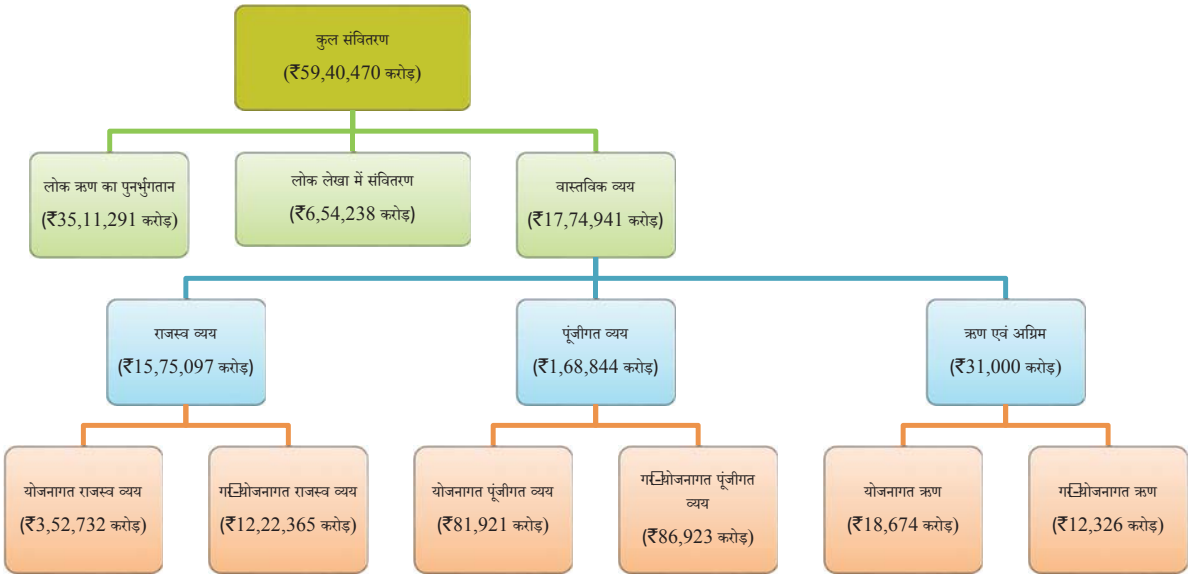

2013-14 में, सरकार के कुल संवितरण ₹56,86,214 करोड़ के पिछले वर्ष के संवितरणों से 4.47 *प्रतिशत* तक बढ़े। भा.स.नि. से 88.99 *प्रतिशत* (लोक ऋण का पुनर्भुगतान 59.11 *प्रतिशत* तथा वास्तविक व्यय 29.88 *प्रतिशत*) था। शेष 11.01 प्रतिशत संवितरण लोक लेखे से था।

नीचे **तालिका 1.7** सरकार द्वारा किए गए संवितरणों के मुख्य घटकों के अंश को दर्शाती है। जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है कि कुल संवितरण के संघटकों ने 2011-14 के दौरान सुधार देखा। कुल संवितरण में ऋण के पुनर्भुगतान का अनुपात 2011-12 के दौरान 62.06 *प्रतिशत* से 2013-14 में 59.11 *प्रतिशत* तक घट गया है। इसके परिणामस्वप वास्तविक व्यय का अंश 26.33 *प्रतिशत* से 29.88 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। 2011-14 के दौरान लोक लेखा संवितरण लगभग 11 *प्रतिशत* पर वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में

राजस्व व्यय लगभग 88 प्रतिशत पर रहा। वास्तविक व्यय के प्रति योजनागत व्यय का अनुपात 2011-12 में 27.81 *प्रतिशत* से 2013-14 में 25.54 प्रतिशत तक घटा है।

1.7: कुल संवितरण के विभिन्न घटकों का अंश

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
कुल संवितरण (कु.सं.) (प्रतिशत में)	100.00	100.00	100.00
कु.सं. के घटकों की कु.सं. से प्रतिशतता			
ऋण का पुनर्भुगतान	62.06	60.27	59.11
लोक लेखा से संवितरण	11.61	11.54	11.01
वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	26.33	28.19	29.88
वा.व्य. के घटकों की वा.व्य. से प्रतिशतता			
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	88.01	88.62	88.74
पूंजीगत व्यय (पूं.व्य.)	9.40	9.38	9.51
कर्जों एवं पेशगियां (क.प.)	2.59	2.00	1.75
रा.व्य. के घटकों की रा.व्य. से प्रतिशतता			
योजनागत राजस्व व्यय	25.57	23.18	22.39
गैर योजनागत पूंजीगत	74.43	76.82	77.61
पूं.व्य. के घटकों की पूं.व्य. से प्रतिशतता			
योजनागत राजस्व व्यय	41.98	45.24	48.52
गैर योजनागत पूंजीगत व्यय	58.02	54.76	51.48
क.पे. घटकों की क.पे. से प्रतिशतता			
योजनागत कर्जे	52.35	51.13	60.24
गैर योजनागत कर्जे	47.65	48.87	39.76
योजनागत व्यय की वा.व्य. से प्रतिशतता	27.81	25.80	25.54
गैर-योजनागत व्यय की वा.व्य. से प्रतिशतता	72.19	74.20	74.46

1.3.1 राजस्व तथा पूंजीगत व्यय

राजस्व व्यय वह वर्तमान व्यय है, जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन का परिणाम नहीं होता। यह केवल सरकार के नियमित परिचालन के लिए होता है जिसमें अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतान, आर्थिक सहायता तथा अंतरण आदि शामिल होते हैं। राज्य सरकारों अथवा अन्य निकायों या प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियों

के अधिग्रहण हेतु भुगतान, शेयर पूंजी में निवेश तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियां शामिल हैं। **चार्ट 1.5** पूंजीगत व्यय के ऊपर राजस्व व्यय के प्रभुत्व को दर्शाता है। वर्ष 2011-12 में पूंजीगत व्यय का अंश 12 *प्रतिशत* था तथा राजस्व व्यय 88 *प्रतिशत* पर था। तथापि, अगले वर्ष में पूंजीगत लेखा व्यय 11 *प्रतिशत* रह गया तथा 2013-14 में उसी स्तर पर रहा। वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में 1.90 *प्रतिशत* की नकारात्मक वृद्धि के पश्चात इसने 2013-14 में 9.54 *प्रतिशत* की वार्षिक वृद्धि दर्ज की।

चार्ट 1.5: पूंजीगत व्यय के साथ राजस्व व्यय की तुलना

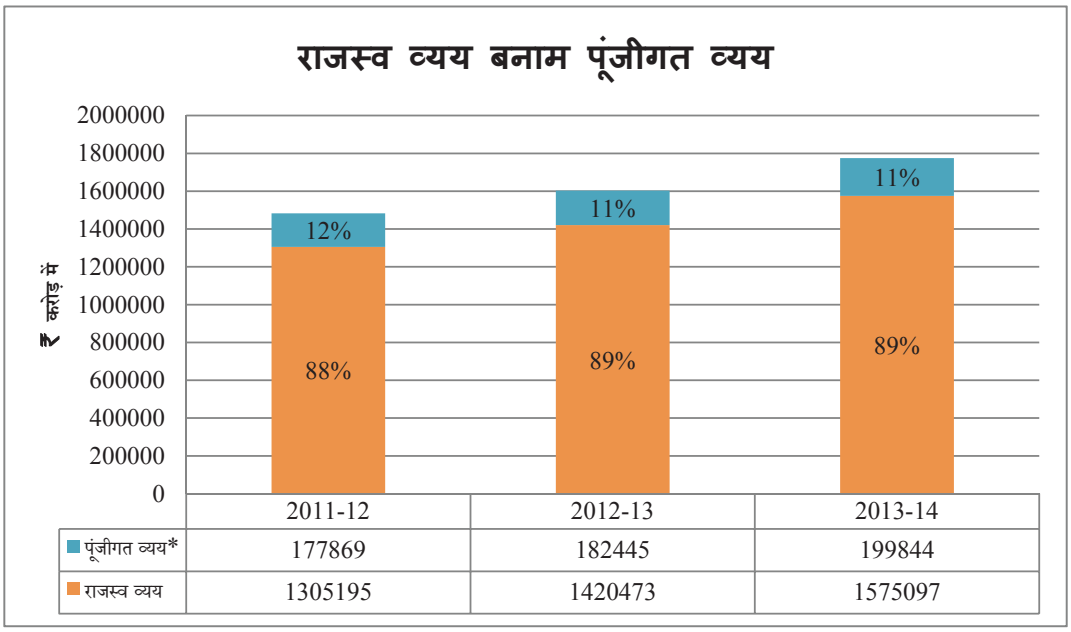

** ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।*

2012-13 के दौरान वास्तविक व्यय के प्रति राजस्व व्यय का अंश लगभग 88.62 *प्रतिशत* था जो बाद में 2013-14 के दौरान 88.74 *प्रतिशत* तक मामूली बढ़ा।

1.3.2 राजस्व व्यय का विश्लेषण

(क) राजस्व व्यय की अधिकता

जैसा ऊपर देखा गया कि सरकारी व्यय का अधिकांश भाग राजस्व व्यय की ओर जाता है। जिससे प्राय: सरकार की नई परिसंपत्तियां का निर्माण नहीं

होता तथा इससे सरकारी मशीनरी का नियमित परिचालन तथा रखरखाव किया जाता है। वर्ष 2013-14 का कुल राजस्व ₹15,75,097 करोड़ था। जैसा कि **चार्ट 1.6** में दिखाया गया है, राजस्व व्यय का लगभग दो तिहाई तीन संघटकों अर्थात् सहायता अनुदान, ब्याज भुगतान तथा आर्थिक सहायता की ओर था।

चार्ट 1.6: राजस्व व्यय के मुख्य घटक

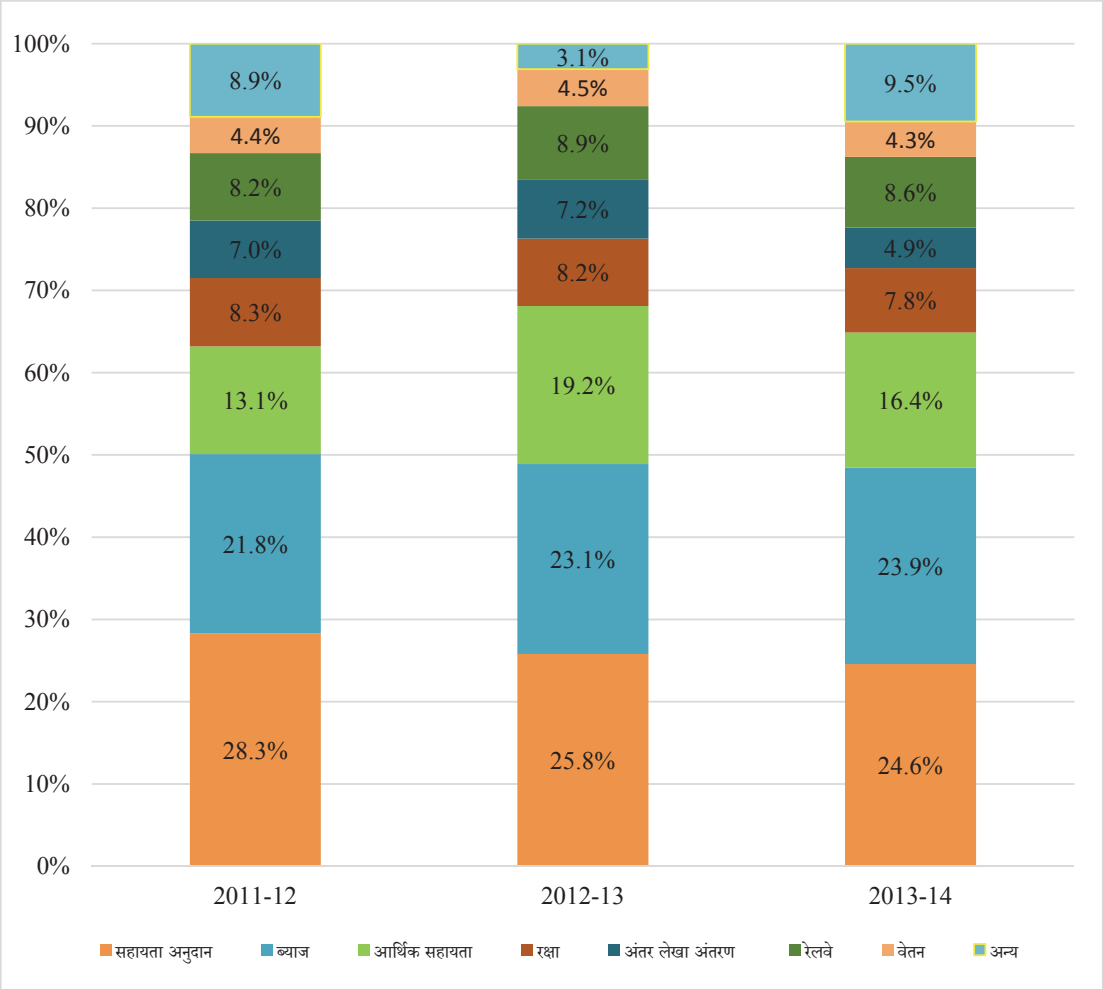

स्रोत: सहायता अनुदान नवम्बर 2014 को 'इ-लेखा' डाटा डम्प से प्राप्त किया गया है। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।
नोट: *2011-12* के दौरान गलत वर्गीकरण के कारण *₹65,000* करोड़ की राशि की आर्थिक सहायता को आर्थिक सहायता में गिना नहीं गया। मुख्य शीर्ष '2048' एवं 2049' के नीचे विषय शीर्ष 45 के अंतर्गत आंकड़े केवल 'ब्याज' पर व्यय के लिए गए थे। 'रक्षा' रक्षा मंत्रालय से संबंधित सिविल अनुदानों को शामिल नहीं करता है। अन्य' निवल 'कटौती वसूलियां'।

राजस्व व्यय 2012-13 के दौरान 8.83 प्रतिशत के प्रति चालू वर्ष के दौरान 10.89 प्रतिशत तक बढ़ गया। वचनबद्ध तथा अनिवार्य व्यय जैसे कि ब्याज

भुगतान, पेंशन, वेतन तथा रक्षा संबंधित व्यय राजस्व व्यय का मुख्य अंश लेता है।

(ख) राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

सहायता अनुदान: सामान्य तथा पूंजी सृजन दोनों के लिए सहायता अनुदान राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों तथा विदेशी सरकारों को दी गई है। भारत की समेकित निधि से अनुदान निकायों/प्राधिकरणों/हस्तियों को दोनों उद्देश्यों तथा वेतनों के भुगतान हेतु भी दी जाती है। अनुदानों को उसी उद्देश्य जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए हैं, उपयोग किया जाना होता है तथा शेष अप्रयुक्त राशियों को अभ्यर्पित अथवा आवर्ती अनुदानों के मामले में भविष्य में समायोजित किया जाना होता है। सार्वजनिक वितरण के नए मॉडलों के संदर्भ मे, सहायता अनुदान सिविल मंत्रालय के लिए राजस्व व्यय का अति महत्वपूर्ण घटक बन गया है जैसा कि **चार्ट 1.6** से स्पष्ट है। पिछले दो वर्षों से राजस्व व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात 2011-12 में 28.3 *प्रतिशत* तक अधिक था परंतु 2013-14 में 24.6 *प्रतिशत* तक घट गया है।

ब्याज भुगतान: चार्ट 1.6 के अनुसार, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का दूसरा बड़ा घटक है। यह लोक ऋण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों पर ब्याज तथा सरकार की अन्य ब्याज सहित देयताओं जिसमें बीमा तथा पेंशन निधियों, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज आदि शामिल हैं, का भुगतान करने की व्यवस्था करता है। **तालिका 1.8** के अनुसार राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2011-12 में 21.99 *प्रतिशत* था जो चालू वर्ष में 25.09 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। बढ़ते हुए ब्याज भुगतानों का अंश अन्य व्यय में से परिपूर्णता को दर्शाता है। 2012-13 में 15.05 *प्रतिशत* की वृद्धि के प्रति 2013-14 में ब्याज भुगतान की वृद्धि 19.70 *प्रतिशत* थी।

तालिका 1.8: संघ सरकार वित्त लेखे में राजस्व व्यय का ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्याज भुगतान*	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान का राजस्व व्यय से अनुपात
2011-12	286982	1305195	21.99
2012-13	330171	1420473	23.24
2013-14	395200	1575097	25.09

** ऋण की कटौती अथवा परिहार पर व्यय शामिल है।*

जैसा कि **चार्ट 1.7** में दर्शाया गया है, आंतरिक ऋण (₹3,44,893 करोड़) के कारण ब्याज भुगतान कुल ब्याज भुगतानों का 87 *प्रतिशत* है।

चार्ट 1.7: ब्याज व्यय के प्रमुख घटक

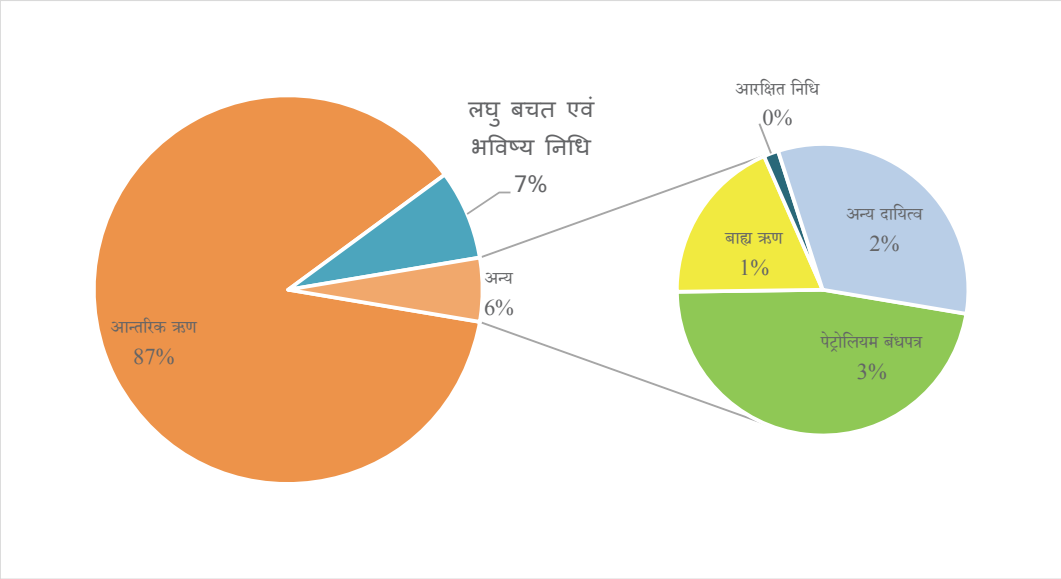

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखा 2013-14

कुल ब्याज भुगतान (ऋण की सर्विसिंग सहित ₹3,95,200 *करोड़, आंतरिक ऋण पर ब्याज* ₹3,44,893 *करोड़, बाह्य ऋण पर ब्याज* : ₹3,880 *करोड़, लघु बचत एवं भविष्य निधि पर ब्याज:* ₹29,426 *करोड़, पेट्रोलियम बंध पत्रों पर ब्याज* : ₹9,849 *करोड में, रिजर्व निधि पर ब्याज* ₹342 *करोड़ तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज* : ₹6,810 *करोड़।*

आर्थिक सहायताएं: आर्थिक सहायताएं आर्थिक लाभ (जैसे कर भत्ता या शुल्क छूट) या वित्तीय सहायता (जैसे नकद अनुदान या आसान ऋण) को प्रदर्शित करती है जो सरकार द्वारा किसी वस्तु के बाजार मूल्य को इसके लागत मूल्य

से कम करने के लिए प्रदान की जाती है। **तालिका 1.9** आर्थिक सहायताओं जिसे सरकार ने सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया था, की स्थिति दर्शाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय का बढ़ा हिस्सा खाद्य, उरर्वक एवं पेट्रोलियम आर्थिक सहायता की ओर है।

तालिका 1.9: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक बाध्यताएं

अवधि	खाद्य	उर्वरक@ (यूरिया)	उर्वरक# (विनियंत्रित) (₹ करोड में)	पेट्रोलियम आर्थिक सहायता	अन्य *	कुल आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता (क)	आर्थिक सहायता (ख) प्रतिशतता
2011-12	72822	33924	36108	68481	6567	217902	2.47	16.69
2012-13	85000	35132	30576	96880	9591	257179	2.57	18.11
2013-14	92000	38038	29427	85378	9902	254745	2.25	16.17

@ देशी एंव आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

 # विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

** अन्य में ब्याज आर्थिक सहायता, नेफेड को दिया गया अनुदान, मुद्रा नुकसान के लिए मुआवजा, हज अध्यायों के लिए आर्थिक सहायता के लिए आदि।*

(क) सं.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में (ख) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में

विनियंत्रित उरर्वकों तथा पेट्रोलियम पर आर्थिक सहायताएं पिछले वर्ष से 2013-14 में क्रमश: ₹1,149 करोड़ तथा ₹11,502 करोड़ तक कम हुई थी।

2013-14 तथा 2012-13 में सरकार द्वारा दी गई सुस्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक पाई **चार्ट 1.8** में भी दर्शाए गए हैं। जैसा कि **चार्ट 1.8** तथा **तालिका 1.9** से देखा जा सकता है, आर्थिक सहायताओं में 2012-13 के दौरान स.घ.उ. के औसतन 2.57 *प्रतिशत* से 2013-14 में 2.25 *प्रतिशत* तक की आंशिक कमी हुई। 2013-14 में, सरकार द्वारा प्रदत्त सुस्पष्ट आर्थिक सहायता स.घ.उ. का 2.25 *प्रतिशत* बनती है। उर्वरक (विनियंत्रित) आर्थिक सहायताओं का अंश 2012-13 एवं 2013-14 में 12 *प्रतिशत* के स्तर पर बना रहा। पेट्रोलियम आर्थिक सहायताओं के अंश में 38 *प्रतिशत* से 33 *प्रतिशत* तक कमी हुई। हालांकि, दूसरी ओर खाद्य आर्थिक सहायताओं का अंश 33 *प्रतिशत* से 36 *प्रतिशत* तक बढ़ा।

चार्ट 1.8: सुस्पष्ट आर्थिक सहायताओं के घटक

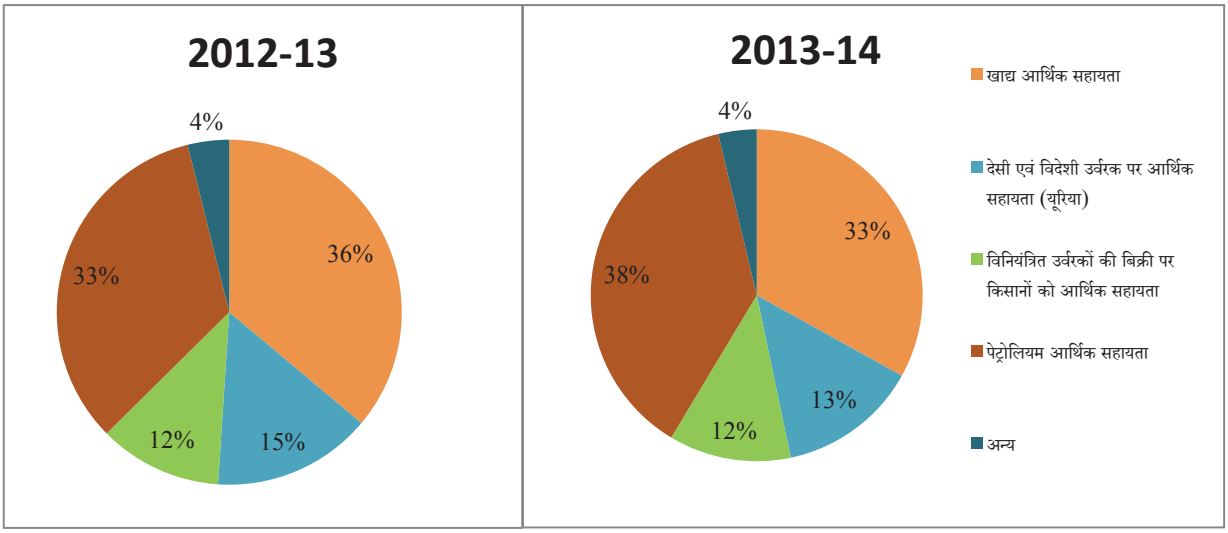

आर्थिक सहायता न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात बजट के माध्यम से प्रदान की जाती है, बल्कि लोगों को इमदादी लोक सेवा प्रदान करके भी उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार की आर्थिक सहायताओं को सामान्यत: अस्पष्ट आर्थिक सहायता के रूप में नामित किया जाता है। वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को बजटीय सहायता, सा.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, अस्पष्ट आर्थिक सहायता की श्रेणी में आती है। **तालिका 1.9** में प्रदर्शित 'आर्थिक सहायताएं' केवल सुस्पष्ट आर्थिक सहायताओं से संबंधित है जिनके लिए संबंधित वर्षों के संघ बजट में आबंटन किए जाते हैं।

पेंशन भुगतान: पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2011-12 में ₹61,166 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹74,896 करोड़ हो गया जिसमें 2011-14 में 22.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। **चार्ट 1.9**, 2011-14 की अवधि की स्थिति को दर्शाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विचाराधीन रक्षा पेंशनों के मामले में, पेंशन भुगतानों में 21.11 *प्रतिशत* तक वृद्धि हुई तथा यह ₹45,499 करोड़ था। रक्षा पेंशन भुगतान संघ सरकार द्वारा किए गए कुल पेंशन भुगतान का 61-62 *प्रतिशत* था। 2011-12 में सिविल पेंशन ₹23,597 करोड़

रही, 2013-14 में बढ़कर ₹29,397 करोड़ हो गई और उसमें विचाराधीन अवधि (अर्थात 2011-14) में 24.58 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज हुई।

चार्ट 1.9: पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय

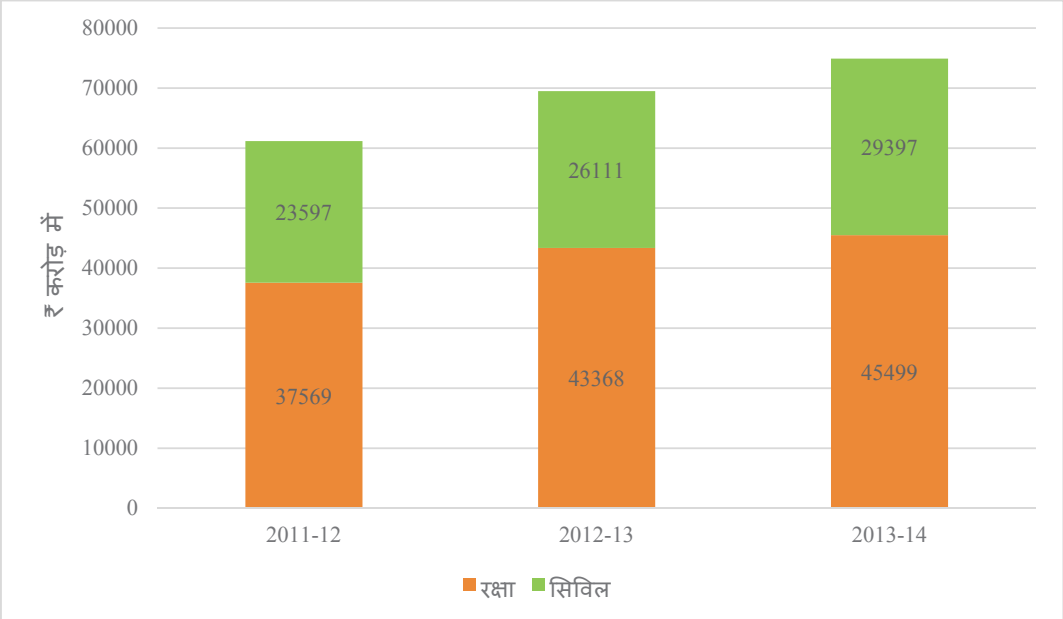

रक्षा व्यय: जैसा कि **चार्ट 1.10** में दर्शाया गया है, रक्षा क्षेत्र के राजस्व व्यय में, थल सेना (₹87751 करोड), नौसेना (₹13472 करोड़), वायु सेना (₹20,160 करोड़), आयुध कारखाने (₹2,811 करोड़) अनुसंधान एवं विकास (₹5,696 करोड़) रक्षा पेंशन (₹45,499 करोड़) तथा रक्षा मंत्रालय (₹15,733 करोड़)[3] के व्यय शामिल हैं। 2013-14 में यह केन्द्रीय सरकार के कुल राजस्व व्यय का 12.13 *प्रतिशत* था।

[3] स्रोत: अनुदान-20 के विनियोग लेखे - रक्षा मंत्रालय

चार्ट 1.10: 2013-14 की अवधि में रक्षा पर व्यय

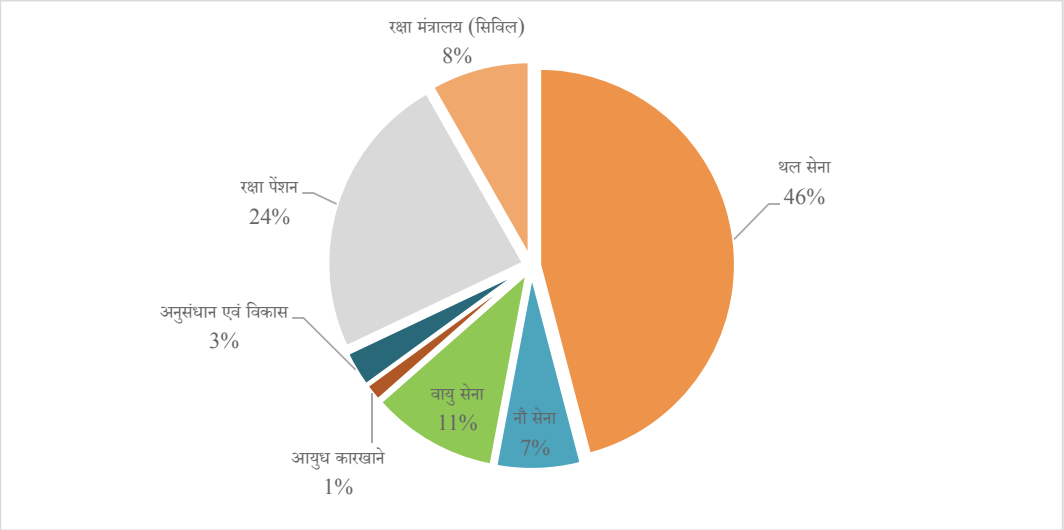

1.3.3 पूंजीगत व्यय का विश्लेषण

पूंजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) जो परिसंपत्ति अर्जन पर किए गए व्यय का तथा मौजूदा परिसंपत्तियों के उपयोग में वृद्धि करने का सूचक है, पिछले वर्ष में ₹17,399 करोड़ (9.54 *प्रतिशत*) तक बढ़ा तथा 2013-14 में ₹1,99,844 करोड़ (₹31000 करोड़ ऋण तथा अग्रिम को शामिल करते हुए) रहा। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2012-13 में 9.38 *प्रतिशत* से 2013-14 में 9.51 *प्रतिशत* तक सीमांत रूप से बढ़ा है (तालिका 1.7)। फिर भी केन्द्र सरकार का ऋण तथा आगम में अंश कुल व्यय के 2 प्रतिशत से 1.75 प्रतिशत घटा है।

चार्ट 1.11: 2013-14 में पूंजीगत व्यय वित्तिय वर्ष मुख्य क्षेत्र का आंबटन

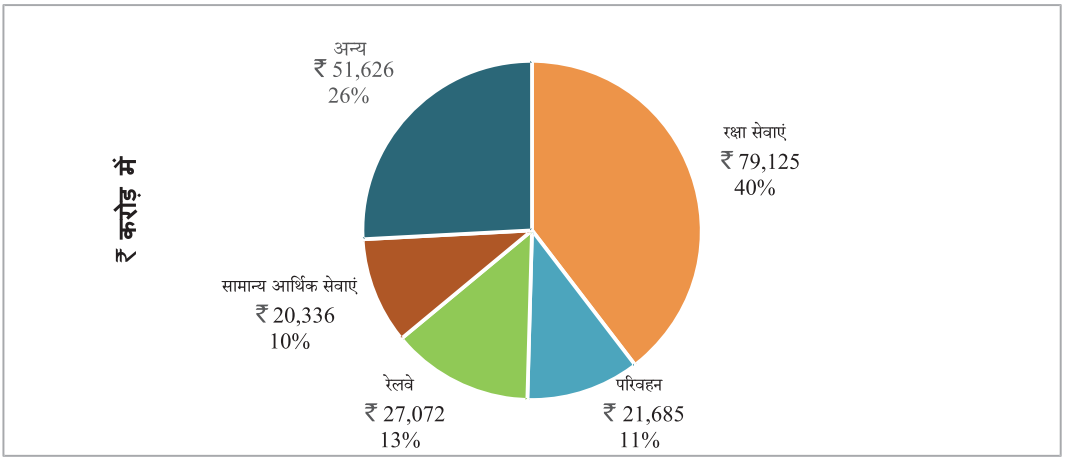

चार्ट 1.11 दर्शाता है कि रक्षा सेवाओं, परिवहन, रेलवे तथा सामान्य आर्थिक सेवाओं ने चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय का 74 *प्रतिशत* व्यय दर्ज किया।

- सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रम बैंक में निवेशित ₹16,100 करोड़ (79 *प्रतिशत*), एशियाई विकास बैंक में निवेश के रूप में ₹279 करोड़ (1.37 *प्रतिशत*) तथा पुनर्निर्माण तथा विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक में निवेश के प्रति ₹231 करोड़ (1.14 *प्रतिशत*) था।
- अन्य के मामले में, व्यय का मुख्य खण्ड राज्य प्लान योजना हेतु कर्जों के अंतर्गत ब्लाक कर्ज (₹11,000 करोड़) तथा शहरी विकास के अंतर्गत स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि हेतु कर्जे (₹4,633 करोड़) के कारण था।

1.3.4 योजनागत व्यय का विश्लेषण

वित्त लेखे व्यय को आगे योजनागत और गैर योजनागत में बांटने का प्रावधान करते हैं। योजनागत व्यय, सामान्यत: नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर संवृद्धि विकासात्मक व्यय से संबंधित होता है तथा इसमें राजस्व तथा पूंजीगत दोनों व्यय समाविष्ट होते हैं। दूसरी ओर गैर योजनागत व्यय सामान्यत: पहले

से प्राप्त सेवाओं के स्तरों को बनाए रखने के लिए समर्पित होता है। तथापि, योजनागत तथा गैर योजनागत व्यय दोनों में राजस्व व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि इससे सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नेटवर्क का विस्तार और पूंजी निर्माण होता है। **चार्ट 1.12** सरकार के योजनागत और गैर योजनागत व्यय का ब्यौरा दर्शाता है। वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत व्यय 2011-12 के दौरान 28 *प्रतिशत* था परंतु 2013-14 में 26 *प्रतिशत* के स्तर तक घटा।

चार्ट 1.12: योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय का विश्लेषण

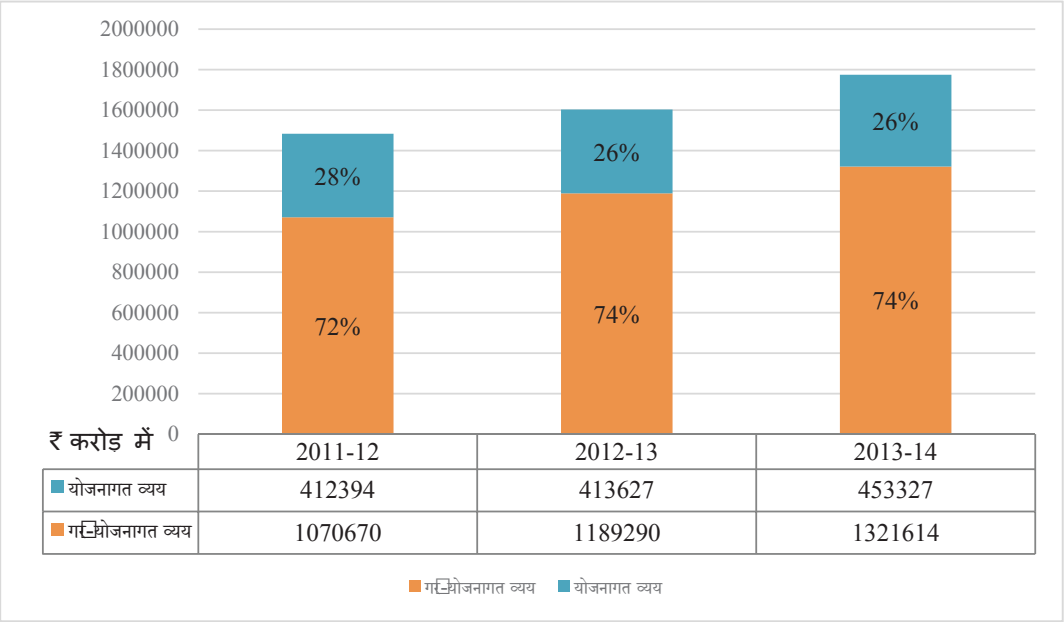

₹ करोड़ में	2011-12	2012-13	2013-14
योजनागत व्यय	412394	413627	453327
गैर-योजनागत व्यय	1070670	1189290	1321614

1.3.5 योजनागत व्यय के मुख्य घटक

जैसा कि **चार्ट 1.13** से देखा जा सकता है कि योजनागत व्यय का 89 *प्रतिशत* सहायता अनुदान, निवेश, ऋणों एवं आर्थिक सहायता पर खर्च होता है। 2011-12 की तुलना में, 2013-14 के दौरान सहायता अनुदान पर किया गया व्यय सिविल मंत्रालयों के मामले में कुल योजनागत व्यय के 75 प्रतिशत पर स्थिर रहा था। योजनागत व्यय के मंत्रालय-वार/अनुदान-वार घटक **अनुबंध 1.1** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 1.13: योजनागत व्यय के घटक

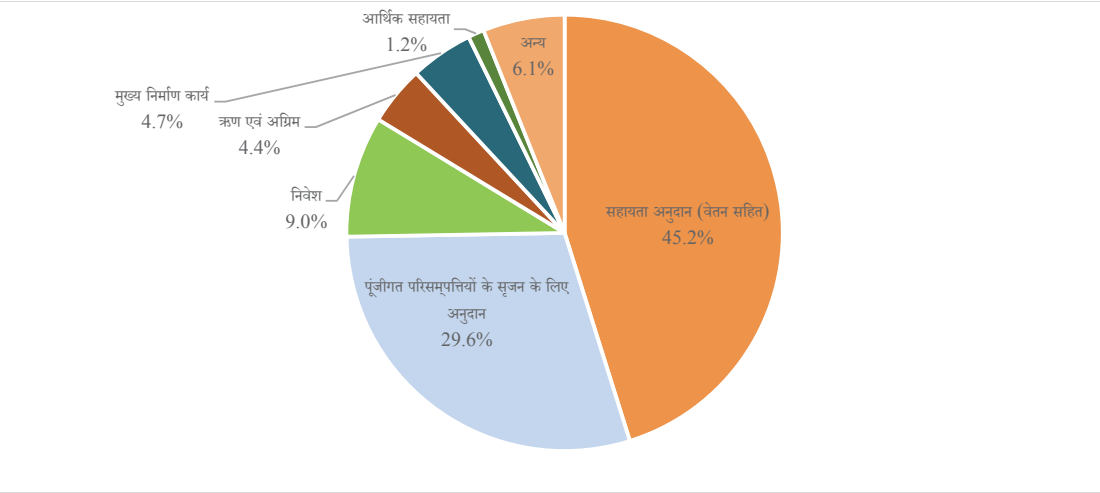

स्रोत: 24 नवम्बर 2014 को ई-लेखा द्वारा प्रदत्त डाटा डम्प (रक्षा(संख्या 22 से 27), डाक (सं.13), रेलवे एवं विनियोग ऋण का पुनर्भुगतान (सं 37) से संबंधित अनुदानों को छोड़कर। जर्नल प्रविष्टियां, अंतर-लेखा अंतरण (व.शी. 63) तथा कम वसूलियां (व.शी. 70) शामिल नहीं हैं।

चार्ट 1.14 सहायता अुनदान (पूंजीगत सृजन तथा वेतन हेतु सहायता अनुदान सहित) को कुल योजनागत व्यय, जोकि 2011-12 के दौरान 75.22 *प्रतिशत* था तथा 2013-14 में 74.72 *प्रतिशत* तक घटा था, के अनुपात के रूप में दर्शाता है।

चार्ट 1.14: कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत सहायता अनुदान

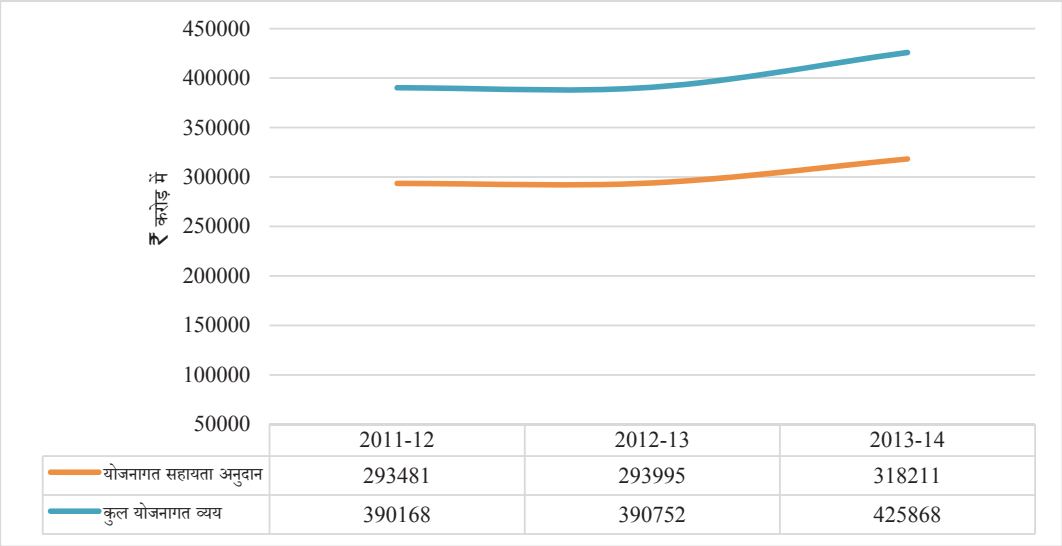

	2011-12	2012-13	2013-14
योजनागत सहायता अनुदान	293481	293995	318211
कुल योजनागत व्यय	390168	390752	425868

स्रोत: 24 नवम्बर 2014 को 'ई-लेखा' द्वारा प्रदत्त डाटा डम्प (रक्षा, डाक, तथा रेलवे अनुदानों को छोड़कर) जर्नल प्रविष्टियाँ शामिल नहीं हैं।

1.3.6 सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम-पिछले तीन वर्षों में वास्तविक व्यय

संघ सरकार फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य विकास प्राथमिकताओं पर लक्ष्य कर रही है। नीचे **चार्ट 1.15** 2011-14 की अवधि के दौरान इन मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय को दर्शाता है।

चार्ट 1.15: मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय

स.शि.अ.=सर्व शिक्षा अभियान, दो.भो.यो.=दोपहर के भोजन की योजना, मनरेगस=महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-रा.ग्रा.स्व.मि.=राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रा.गा.ग्रा.वि.यो.=राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इं.आ.यो.=इंदिरा आवास योजना, प्र.मं.ग्रा.स.यो.=प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रा.ग्रा.स्वा.मि.= राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

तालिका 1.10 में दर्शायी गई सात प्रमुख योजनाओं पर कुल व्यय 2011-12 में ₹1,09,379 करोड़ से 2012-13 में ₹ 1,01,108 करोड़ तक घट गया तथा फिर बाद में 2013-14 में ₹1,13,824 करोड़ तक बढ़ गया (2011-12 से 4.06 *प्रतिशत* अधिक)। **चार्ट 1.15** तथा **तालिका 1.10** से यह देखा जा सकता है कि सभी मुख्य योजनाओं ने, जब उनकी पिछले वर्ष से तुलना की गई, व्यय में वृद्धि दर्ज की गई। बजट अनुमानों से तुलना में इन योजनाओं में गिरावट देखी गई तथा प्र.मं.ग्रा.स.यो. में 54.82 *प्रतिशत* की अधिकतम गिरावट।

तालिका 1.10: संघ सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम पर योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

		स.शि.अ.	दो.भो.यो.	मनरेगस	रा.गां.ग्रा.वि.यो.	इं.आ.यो.	प्र.मं.ग्रा.स.यो.	रा.ग्रा.स्वा.मि.	कुल
2011-12	ब.अ.	20413	10061	40000	6000	10000	20000	19838	126312
	वास्तविक	20841	9891	29213	2237	9872	19342	17983	109379
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	2.10	(-)1.69	(-)26.97	(-)62.72	(-)1.28	(-)3.29	(-)9.35	(-)13.41
2012-13	ब.अ.	24243	11643	33000	4900	11075	24000	22799	131660
	वास्तविक	23873	10849	30274	698	7869	8884	18661	101108
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)1.53	(-)6.82	(-)8.26	(-)85.76	(-)28.95	(-)62.98	(-)18.15	(-)23.21
2013-14	ब.अ.	26358	12879	33000	4500	15184	21700	23148	145769
	वास्तविक	24802	10918	32993	2939	12982	9805	19385	113824
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)5.90	(-)15.23	(-)0.02	(-)34.69	(-)14.50	(-)54.82	(-)16.26	(-)21.91

1.3.7 मुख्य मंत्रालयों में योजनागत व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात

चार्ट 1.16 2013-14 में वृहत् योजनागत व्यय वाले 10 मंत्रालयों/विभागों हेतु योजनागत व्यय के भीतर सहायता अनुदान के अनुपात को दर्शाता है।

चार्ट 1.16: मुख्य मंत्रालयों/विभागों में कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में सहायता अनुदान (पूंजीगत सृजन हेतु सहायता अनुदान सहित)

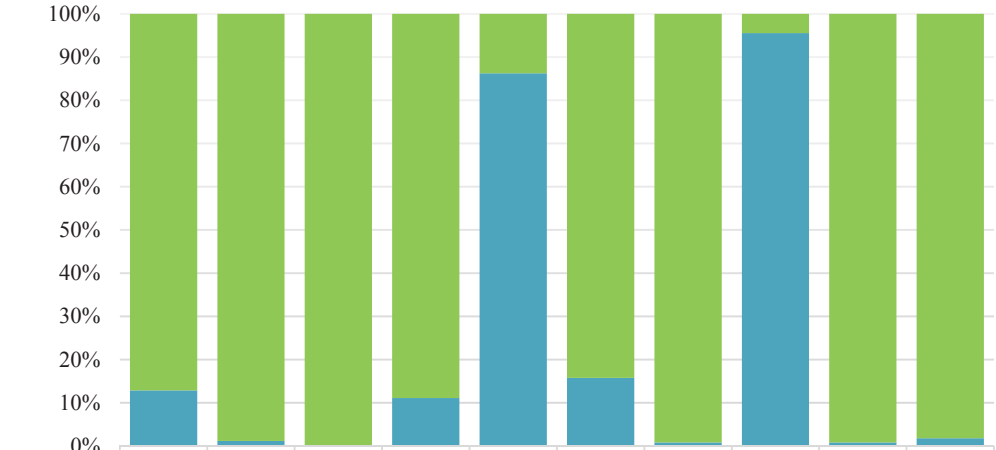

	रा.सं.शा.क्षे.स.अ.	ग्रा.वि.	स्कू.शि.सा.	स्वा.प.क.	स.प.रा.	कृ.स.	म.बा.वि.	वि.से.	पे.ज.आ.	उ.शि.
स.अ.*	74559	57946	43659	19987	3252	15743	17806	784	11837	13931
अन्य*	11000	677	26	2490	20394	2947	144	16883	98	252
स.अ. % के रूप में	87.14%	98.85%	99.94%	88.92%	13.75%	84.23%	99.20%	4.44%	99.18%	98.22%

** राशि ₹ करोड़ में*

नोट: स.अ=सहायता अनुदान; यो.व्य=योजनागत व्यय,, ग्रा.वि =ग्रामीण विकास, रा.सं.शा.क्षे.स.अ. = राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, स्कू.शि.सा.=स्कूली शिक्षा, एवं साक्षरता, स.प.रा.=सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, स्वा.प.क.=स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृ.स.=कृषि एवं सहकारिता, म.बा.वि.=महिला एवं बाल विकास, वि.से.=वित्तीय सेवाएं, पे.ज.आ.=पेय जल आपूर्ति, उ.शि.=उच्चतर शिक्षा।

स्रोत: दिनांक 24 नवम्बर 2014 को 'ई-लेखा' पोर्टल से लिया गया डाटा डम्प। जर्नल प्रविष्टियाँ शामिल नहीं है। अंतर-लेखा अंतरण एवं कम वसूलियों वस्तु शीर्षों को छोड़कर।

जैसा कि स्पष्ट है, कि ग्रामीण विकास, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता, महिला एवं बाल विकास, पेय जल आपूर्ति तथा उच्चतर शिक्षा मंत्रालय/विभागों में लगभग समग्र योजनागत व्यय निकायों/प्राधिकरणों/राज्य सरकारों को सहायता अनुदान का संवितरण था।

1.3.8 भारतीय समेकित निधि से व्यय का ब्यौरा (ई-लेखा डाटा)

चूंकि वित्त लेखा में घटक वार व्यय के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। आगामी पैराग्राफ में ई-लेखा का प्रयोग कुछ विश्लेषण में पूरक के रूप में किया गया है। ई-लेखा, जो कि भुगतान एवं लेखा कार्यालयों तथा अन्य आफलाइन इंटरफेस, पर कॉमपेक्ट पर बनाया जाता है, मॉनीटरिंग तंत्र एवं मूल्य वृद्धित

रिपोर्टिंग के लिए दैनिक, मासिक तथा वार्षिक लेखांकन प्रक्रिया के एकीकरण के साथ सार लेखांकन की एक प्रणाली प्रदान करते हैं।

वित्त लेखा में व्यय आंकड़ों की निवल वसूलियां दर्शाई गई हैं और इस प्रकार ई-लेखा में आंकड़े जहां भी लिए गए हैं, निवल वसूलियों के रूप में लिए गए हैं। समय पर ई - लेखा का अद्यतन न किए जाने के कारण ई लेखा प्राप्त संघटकों की संख्या का डाटा वित्त लेखा में उपलब्ध डाटा के साथ भिन्न था।

भारतीय समेकित निधि (भा.स.नि.) से व्यय का सबसे बड़ा घटक सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान की ओर था। जैसा कि **चार्ट 1.17** में देखा जा सकता है**,** भा.स.नि. से कुल व्यय में से सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान का अंश 2012-13 में 68 प्रतिशत से 2013-14 में 65 प्रतिशत तक बहुत कम घटा है।

रक्षा सेवाओं पर व्यय 2012-13 में ₹ 1,86,984 से 2013-14 में ₹ 2,09,015 करोड़ तक बढ़ा। इस अवधि में कुल व्यय में इसके अंश में भी 3.7 *प्रतिशत* से 3.9 *प्रतिशत* तक की थोड़ी सी वृद्धि हुई थी। रक्षा सेवाओं पर राज्य व्यय के विवरण **चार्ट 1.10** में दर्शाए गए हैं।

2011-12 में अन्य प्रभारों में ₹ 65,000 करोड़ की आर्थिक सहायता के गलत वर्गीकरण (जैसा कि 2013 के म.नि.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में इंगित किया गया है) के कारण वर्ष 2012-13 में आर्थिक सहायताओं पर व्यय तथा अंश में काफी वृद्धि देखी गई थी। आर्थिक सहायताओं पर व्यय में थोड़ी सी वृद्धि हुई तथा 2013-14 में यह ₹ 2,72,009 करोड़ पर रही।

रेलवे के मामले में यद्यपि औसत व्यय 2011-12 से 2.6 *प्रतिशत* से 2013-14 में 3.2 *प्रतिशत* तक लगातार बढ़ रहा था।

चार्ट 1.17: भारत की समेकित निधि से किए गए व्यय का ब्यौरा

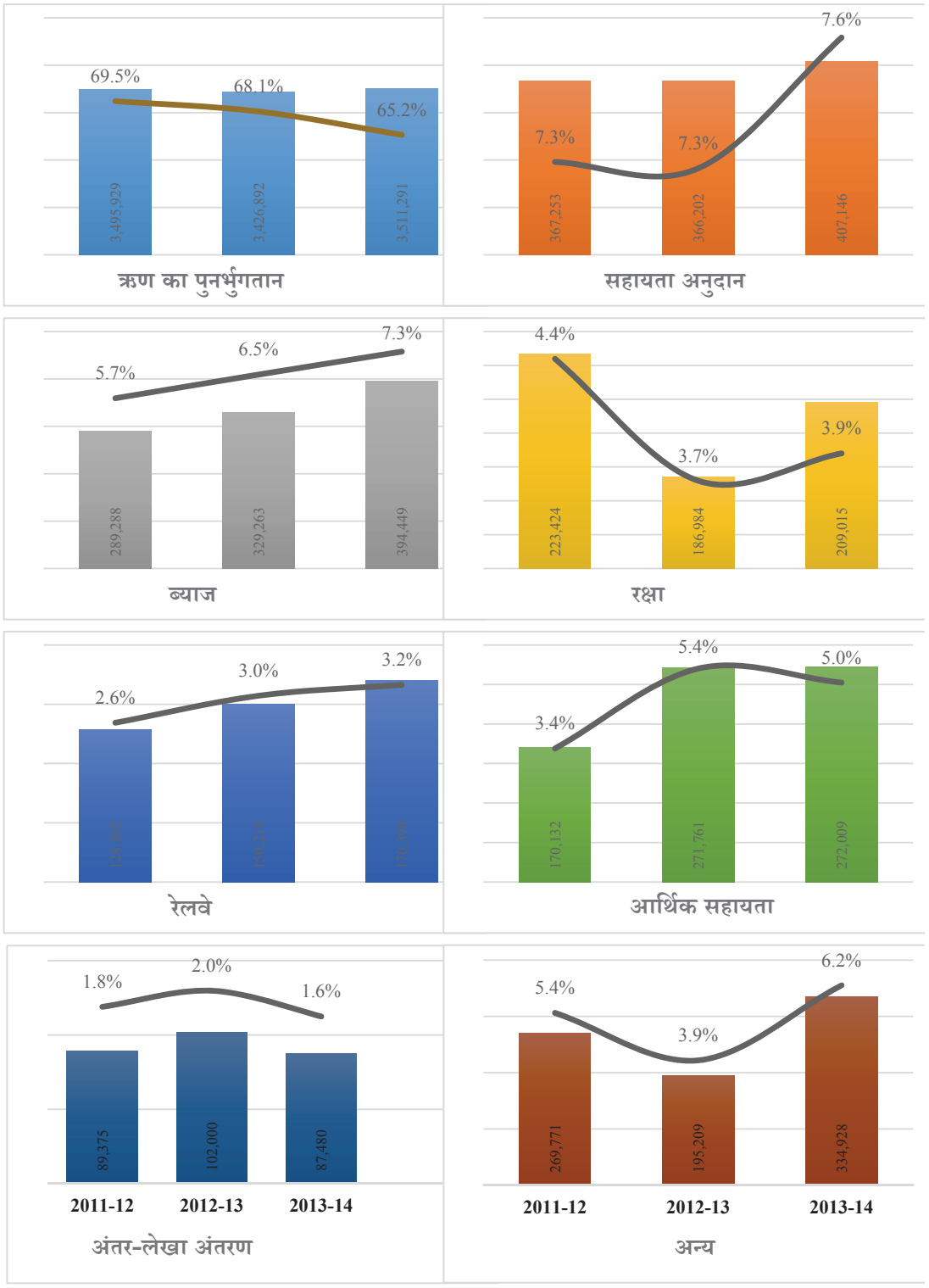

स्रोत: 24 नवम्बर 2014 को प्रदत्त 'ई-लेखा' डाटा डम्प। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है। नोट: चार्ट में दी गई राशि करोड़ में है। प्रवृत्ति रेखा भा.स.नि. से कुल व्यय में प्रतिशत अंश को दर्शाती है। गलत वर्गीकरण के कारण 2011-12 के दौरान ₹65,000 करोड़ की 'आर्थिक सहायता' को आर्थिक सहायता के अंतर्गत नहीं माना गया है। 'ब्याज' पर व्यय हेतु केवल मुख्य शीर्ष '2048 एवं '2049 के नीचे विषय शीर्ष '45 के अंतर्गत दिए गए आंकड़ों को लिया गया था। 'रक्षा' में रक्षा मंत्रालय से संबंधित सिविल अनुदान शामिल नहीं हैं। 'कटौती वसूलियों' का निवल अन्य है।

1.4 व्यय का समय विश्लेषण

व्यय प्रबंधन का एक मुख्य पहलू वर्ष की समाप्ति की ओर व्यय के घनत्व से बचना है। वित्त मंत्रालय ने मार्च माह तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय को बजट अनुमानों के क्रमश: 15 *प्रतिशत* तथा 33 *प्रतिशत* तक सीमित करने हेतु सितम्बर 2007 में मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए। नीचे **चार्ट 1.18** दर्शाता है कि कैसे कुल व्यय तथा इसमें योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय (रक्षा, रेलवे, डाक एवं दूरसंचार को छोड़कर अन्य मंत्रालय विभाग) का वित्तीय वर्ष में संवितरण हुआ।

चार्ट 1.18: व्यय का माह वार प्रवाह (प्रतिशत में)

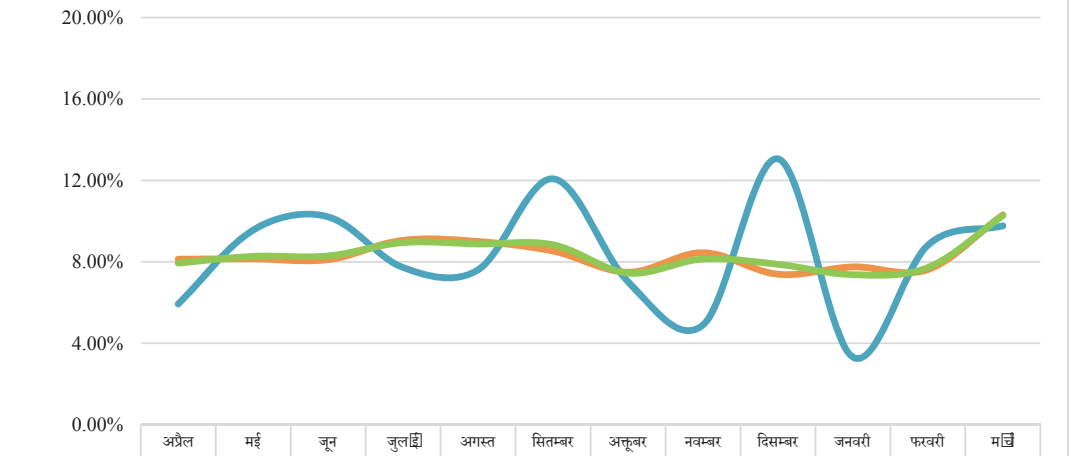

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
गैर-योजना	8.13%	8.15%	8.11%	9.06%	9.00%	8.53%	7.49%	8.45%	7.39%	7.75%	7.62%	10.31%
योजना	5.93%	9.56%	10.21%	7.72%	7.61%	12.08%	7.02%	4.90%	13.06%	3.32%	8.82%	9.77%
भा.सं.नि.#	7.94%	8.27%	8.29%	8.95%	8.88%	8.84%	7.45%	8.14%	7.88%	7.37%	7.72%	10.27%

 # भा.सं.नि. = भारत की समेकित निधि (इस चार्ट में अंतर लेखा अंतरण को शामिल न किए जाने के कारण भा.सं.नि. से माह-वार व्यय की प्रतिशतता अनुबंध 1-ख के साथ मेल नहीं खा सकती है)

नोट: 24 नवम्बर 2014 को 'ई-लेखा' द्वारा प्रदत्त डाटा डम्प (रक्षा (संख्या 22 से 27), डाक (सं. 13), रेलवे एवं विनियोग ऋण का पुनर्भुगतान (सं. 37) से संबंधित अनुदानों को छोड़कर। जर्नल प्रविष्टियां, अंतर/लेखा अंतरण (व.शी. 63) तथा कम वसूलियां (व.शी. 70) शामिल नहीं हैं।

सिविल मंत्रालयों[1] हेतु भारत की समेकित निधि से सरकार के कुल व्यय का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल वार्षिक व्यय का 10 *प्रतिशत* एवं 25 *प्रतिशत* मार्च 2014 तथा वर्ष 2013-14 के अंतिम तिमाही में किया गया था। मार्च 2014 में योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय दोनों में वृद्धि देखी गई थी। योजनागत व्यय 2013 के जून, सितम्बर तथा दिसम्बर माह की तिमाही में ऊंचाई पर था तथा मार्च 2014 में कुल योजनागत व्यय के 10 *प्रतिशत* की सुस्पष्ट वृद्धि को दर्शाता है। गैर-योजनागत व्यय जो वार्षिक व्यय का प्रत्येक माह औसत 7 से 9 *प्रतिशत* के बीच रहा, मार्च 2014 में, कुल गैर-योजनागत व्यय के 10 *प्रतिशत* तक की साधारण वृद्धि को दर्शाता है।

मंत्रालय/विभाग वार समय विश्लेषण: तालिका 1.11 में एक पृथक्कृत विश्लेषण दर्शाता है कि मार्च 2014 में नौ अनुदानों के मामले में कुल व्यय का 22 *प्रतिशत* से ऊपर व्यय किया गया था। राजस्व विभाग के मामले में कुल व्यय का 80 *प्रतिशत* मार्च 2014 में किया गया था। मंत्रालय-वार/अनुदान-वार व्यय का समय विश्लेषण **अनुबंध 1.2** में दिया गया है.

तालिका 1.11: मार्च 2014 में किए गए व्यय का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	कुल व्यय	मार्च में व्यय (अनुपूरक लेखे सहित)	मार्च में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखे सहित)	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय	मार्च के अंतिम दिवस व्यय की प्रतिशतता
042	राजस्व विभाग	2553.37	2037.65	80	1994.91	78
010	कोयला मंत्रालय	1329.45	318.81	24	245.33	18
045	विनिवेश विभाग	26.90	12.71	47	2.28	नगण्य
051	भारी उद्योग विभाग	1377.19	500.81	36	229.71	17
088	पोत परिवहन विभाग	1870.20	578.78	31	8.11	नगण्य

[1] डाक अनुदान सं. 13), रक्षा (अनुदान सं. 22 से 27) तथा ऋण पुनर्भुगतान (अनुदान सं. 37) को छोड़कर

012	औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग	1343.08	347.04	26	8.36	1
005	परमाणु ऊर्जा योजनाएं	4057.38	1060.52	26	उ.न.	उ.न.
061	सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय	2828.22	630.69	22	448.62	16
070	प्रवासी भारतीय मामला मंत्रालय	84.80	18.82	22	11.54	14

नोट: 'ई-लेखा' पोर्टल दिनांक 24 नवम्बर 2014 से लिए गए डाटा (रक्षा, डाक एवं रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

उन मंत्रालयों जहां वित्त वर्ष के अंतिम दिन को एक महत्वपूर्ण धनराशि खर्च की गई थी, के संबंध में आगे एक विश्लेषण ने उद्घाटित किया-

- मार्च 2014 में राजस्व विभाग द्वारा किए गए ₹2,037.65 करोड़ के कुल व्यय में से ₹1,981.04 करोड़ की राशि का व्यय विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत किया गया था।

विषय शीर्षवार समय विश्लेषण: संघ सरकार के लेखाओं के कोडिंग प्रतिमान के अनुसार एक उपशीर्ष योजनाओं को प्रस्तुत करता है, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को प्रस्तुत करता है तथा विषय शीर्ष अंतिम शीर्षों (अर्थात वेतन, मजदूरी, सेवानिवृत्ति प्रभार, पुरस्कार, आदि) को प्रस्तुत करता है जिन पर व्यय किया गया है। सिविल मंत्रालयों में विषय शीर्ष स्तर पर व्यय की जांच ने प्रकट किया कि वित्त वर्ष के अंत में कई विषय शीर्षों में उल्लेखनीय व्यय घनत्व था। कुछ विषय शीर्ष जिनमें मार्च 2014 के माह में काफी व्यय किया गया था। उन्हें **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: मार्च 2014 में हुए विषय शीर्ष व्यय का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरण	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय की प्रतिशतता
63	अंतर लेखा अंतरण	87557.56	50680.46	58	10573.59	12
05	पुरस्कार	58.76	27.31	46	6.90	12

विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरण	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय की प्रतिशतता
28	व्यावसायिक सेवाएं	3541.97	1532.71	43	78.48	2
52	मशीनरी एवं उपकरण	4444.48	1455.49	33	142.19	3
26	विज्ञापन एवं प्रचार	1866.85	587.87	31	199.25	11
51	मोटर वाहन	500.54	136.60	27	35.41	7
30	अन्य अनुबन्धित सेवाएं	2063.38	513.96	25	24.38	1
27	लघु निर्माण कार्य	5427.20	1304.70	24	434.17	8
25	कपड़ा और तंबू	593.62	132.22	22	22.88	4s

नोट: 'ई-लेखा' पोर्टल दिनांक 24 नवम्बर 2014 से लिए गए डाटा। रक्षा (अनुदान सं. 22 से 27), डाक (अनुदान सं. 13), रेलवे से संबंधित अनुदान शामिल नहीं है। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है।

सरकार को मुख्य रूप से निवेशों, विज्ञापन एवं प्रचार, वित्त वर्ष के अंत में मुख्य कार्य एवं अन्य प्रभारों के मामले में अधिक व्यय हेतु कारणों की जांच करनी चाहिए।

1.5 ऋण एवं घाटा सूचक

बॉक्स 1.2: भारत सरकार की राजकोषीय देयताएं

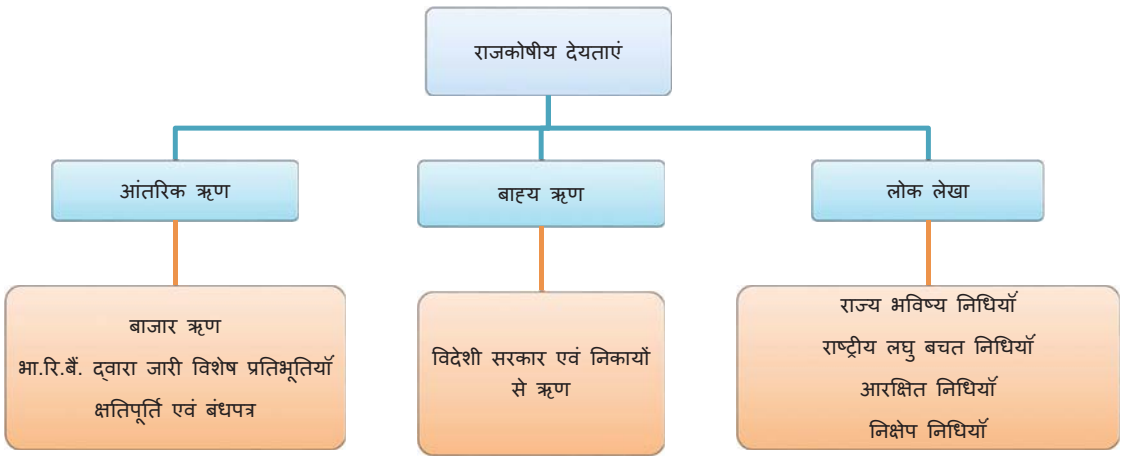

यद्यपि बजट के संतुलन हेतु ऋण पर निर्भरता से नहीं बचा जा सकता, संघ सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्वों तथा बजट प्रबंधन (रा.उ.प्र.ब.) अधिनियम, 2003 के माध्यम से उधारों पर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की तथा राज्य सरकारों को राजकोषीय सुधार विधान के माध्यम से अपनी देयताओं पर सीमाएं निर्धारित करने हेतु प्रोत्साहित किया। रा.सु.ब.प्र. नियम निर्धारित करते हैं कि केन्द्र सरकार वित्त वर्ष 2004-05 के लिए स.घ.उ. के 9 *प्रतिशत,* से अधिक अतिरिक्त देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण को शामिल करते हुए) को स्वीकार नहीं करेगी और आने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष में स.घ.उ. 9 प्रतिशत की सीमा को स.घ.उ. के कम से कम एक प्रतिशत से उत्तरोत्तर घटाया जाना था। 2013-14 में जुटाई गई ₹5,52,724 करोड़ तक की राशि की अतिरिक्त देयताएं स.घ.उ. के 4.87 *प्रतिशत* थीं, जो कि राजकोषीय कानून की शर्तों से मेल नहीं खाता। चूंकि रा.उ.ब.प्र. विधान में अतिरिक्त उधारी के लिए कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई थी, इस ध्यानाकर्षक विधान में कुछ खामियॉ थीं।

तालिका 1.13 2013-14 की अवधि में सरकार की कुल देयताओं, दोनों वर्तमान विनिमय दर तथा ऐतिहासिक दर (ऐसी दर जिस पर मूलत: ऋण लिया गया) को दर्शाती है। वर्तमान दर पर कुल देयताएं स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में घटती हुई प्रवृत्ति को दिखाती है तथा यह 2011-12 में 47 प्रतिशत से 2013-14 में 46.36 प्रतिशत तक कम हुई है। 2012-13 के दौरान आंतरिक ऋण की वृद्धि स.घ.उ. वृद्धि से अधिक तेज थी, जो एक दयनीय ऋण स्थिति को दिखाती है। 2013-14 में, कुल ऋण की वृद्धि दर 11.74 प्रतिशत थी जबकि स.घ.उ. की वृद्धि दर 13.6 प्रतिशत थी। 2013-14 में कुल ऋण स.घ.उ. का 46-36 प्रतिशत था जो संगत वित्त वर्ष के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 47.5 प्रतिशत के स्तर से काफी कम था।

चार्ट 1.22 स.घ.उ. में वृद्धि की तुलना में कुल देयताओं में प्रतिशत वृद्धि

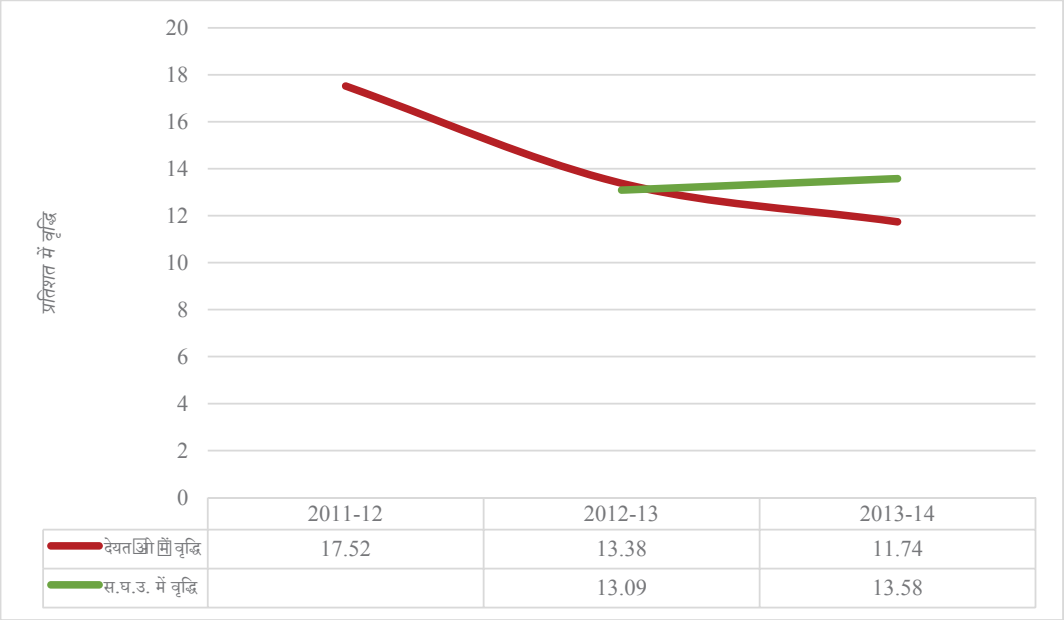

**2011-12 में स.घ.उ. की वृद्धि स.घ.उ. के आधार वर्ष में संशोधन किए जाने के कारण उपलब्ध नहीं थी।*

तालिका 1.13: राजकोषीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

अवधि	संघ सरकार के आन्तिरिक ऋण (1)	बाह्य ऋण (ऐतिहासिक दरों पर) (2)	लोक लेखा* (3)	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर) (1+2+3)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर) (4)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर) (1+3+4)
2011-12	3230622 (36.58)	170088 (1.93)	597765 (6.77)	3998475 (45.27)	322897 (3.66)	4151284 (47.00)
2012-13	3764566 (37.69)	177289 (1.77)	610016 (6.11)	4551871 (45.57)	332004 (3.32)	4706586 (47.12)
2013-14	4240767 (37.38)	184581 (1.63)	644060# (5.68)	5069407 (44.68)	374483 (3.30)	5259310 (46.36)
संबंधित भाग में औसत वार्षिक दर का बदलाव						
2011-14	1.09	-8.09	-8.42	-0.65	-4.98	-0.69

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े स.घ.उ. की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

**1999-2000 से लोक लेखा देयताएं राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के प्रसार तक लघु बचतों के कारण देयताओं को शामिल नहीं करती हैं।*

31 मार्च 2014 तक लोक लेखा में बकाया देयताओं को ₹6,44,059.71 करोड़ दर्शाया गया था। तथापि, लोक लेखा में बकाया देयताएं का अनुमान ₹12,68,854.39 करोड़ था, लघु बचतों भविष्य निधि आदि के खाते में ₹11,12,803.27 करोड़ था। निर्धारित निधियों एवं जमाओं में ₹1,56,051.12 करोड़ था, जिसे सरकार के सामान्य नगद

शेष में शामिल कर लिया गया था। लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि के कारण बकाया देयताएं ₹11,12,803.27 करोड़ थी, विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में समायोजन से संबंधित निवेश ₹5,19,145.06 करोड़, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में ₹1,500 करोड़, निजी निधि प्रबंधकों के साथ डाक घर बीमा निधि में ₹24,773.56 करोड़, एवं संघ वित्त लेखा में राष्ट्रीय लघु बचत निधि के संचालन में संचित घाटा ₹79,376.06 करोड़ का था जिसके कारण निवल लोक लेखा देयताएं ₹6,44,059.71 करोड़ थी। इस पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए, 31 मार्च 2014 तक संघ सरकार की कुल देयताएं चालू दर पर ₹58,84,104.65 करोड़ थी, जो स.घ.उ. के 51.86 प्रतिशत थी।

चार्ट 1.20 राजकोषीय देयताओं के घटक

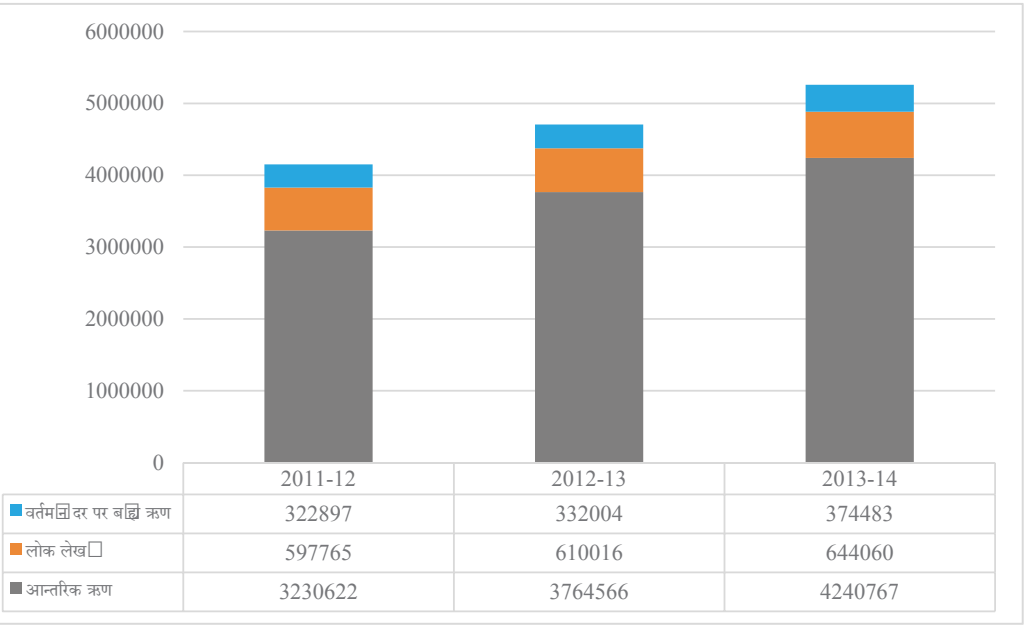

	2011-12	2012-13	2013-14
वर्तमान दर पर बाह्य ऋण	322897	332004	374483
लोक लेखा	597765	610016	644060
आन्तरिक ऋण	3230622	3764566	4240767

चार्ट 1.20 से यह स्पष्ट होता है कि 2011-14 की अवधि के राजकोषीय देयताओं के तीनों घटक लगभग एक समान गतिवर्धक थे, किंतु इसके घटकों की वार्षिक वृद्धि विशेषत: बाह्य ऋण में, समय के अनुरूप भिन्न-भिन्न थे। जबकि आंतरिक ऋण व स.घ.उ. के अनुपात में बदलाव में वार्षिक औसत दर 1.09 *प्रतिशत* के साथ सार्थक नकारात्मक बदलाव दर अर्थात (-) 8.42 *प्रतिशत* तथा अन्य दो घटकों के लिए(-) 4.98 *प्रतिशत* थी **(तालिका 1.16)**।

तालिका 1.14: गैर-ऋण प्राप्ति तथा लोक ऋण पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	आंतरिक ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान	बाह्य ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	बाह्य ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान	लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां
2011-12	3482343	242569	13586	3501	3741999	965183
2012-13	3410785	281891	16108	4019	3712803	1108404
2013-14	3493167	344893	18124	3880	3860064	1271711

तालिका 1.14 दर्शाती है कि 2011-12 के दौरान लोक ऋण का पुनर्भुगतान की लागत ₹ 37,41,999 यानि गैर-ऋण प्राप्तियों का 388 प्रतिशत थी जो 2013-14 में 304 प्रतिशत तक घट गई। इसके अतिरिक्त, 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान का अनुपात 411 प्रतिशत तक था, जो 2013-14 में 317 प्रतिशत तक घट गया है। निरपेक्ष रूप में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण का कुल पुनर्भुगतान ₹1,47,261 तक बढ़ गया था और कुल गैर ऋण प्राप्तियां ₹1,63,307 करोड़ तक बढ़ गई थीं।

1.5.1 घाटे के प्रकार

बॉक्स 1.3: घाटे के प्रकार

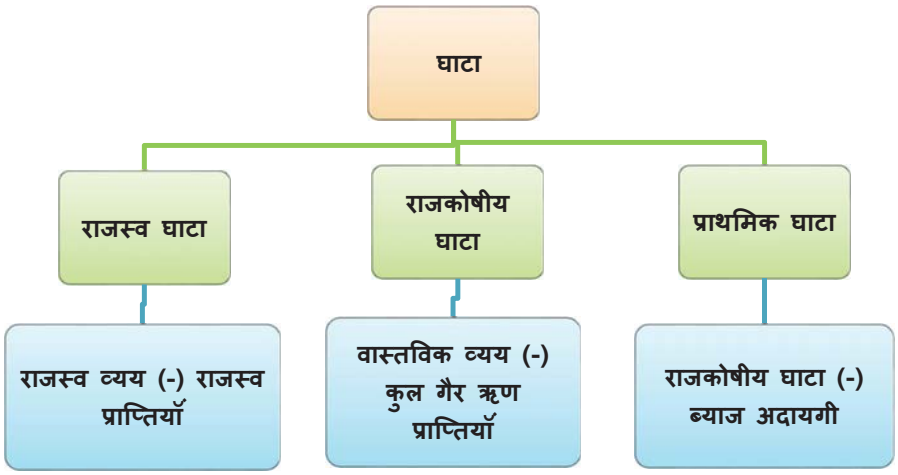

(क) राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटा बिना तदनुरूप पूंजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि का कारण बनता है। अत: राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, लिए गए उधार का

कोई भी परिसंपत्ति बैक अप नहीं होता तथा यह एक बेमेल परिसंपत्ति व देयता का सृजन करता है। इन कारणों से, राजस्व घाटा साधारणत: कम वांछनीय समझा जाता है। राजस्व घाटे में प्रवृत्तियां तथा उसके कुछ मुख्य मापदंड **तालिका 1.15** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.15: राजस्व घाटा तथा उसके मापदण्ड

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा		
				स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
	(₹ करोड़ में)					
2011-12	910277	1305195	394918	4.47	43.38	30.26
2012-13	1055891	1420473	364582	3.65	34.53	25.67
2013-14	1217794	1575097	357303	3.15	29.34	22.68

तालिका 1.15 दर्शाती है कि 2011-12 में राजस्व घाटा ₹3,94,918 करोड़ के स्तर पर था तथा तब से इसने कम होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा 2013-14 में ₹ 3,57,303 करोड़ के स्तर तक कम हुआ। वर्ष 2013-14 में राजस्व घाटे में सुधार को राजस्व प्राप्तियों में 15.33 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी एवं राजस्व व्यय में 10.89 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी के कारण से कहा जा सकता है।

स.घ.उ. के संबंध में, राजस्व घाटा 2011-12 में 4.47 *प्रतिशत* के स्तर पर पहुंच गया। तथापि, धीमी प्रवृत्ति का साक्षी है तथा 2013-14 में यह 3.15 प्रतिशत तक पहुंच गया।

चार्ट 1.21 राजस्व घाटा एवं इसमें स.घ.उ. की प्रतिशतता

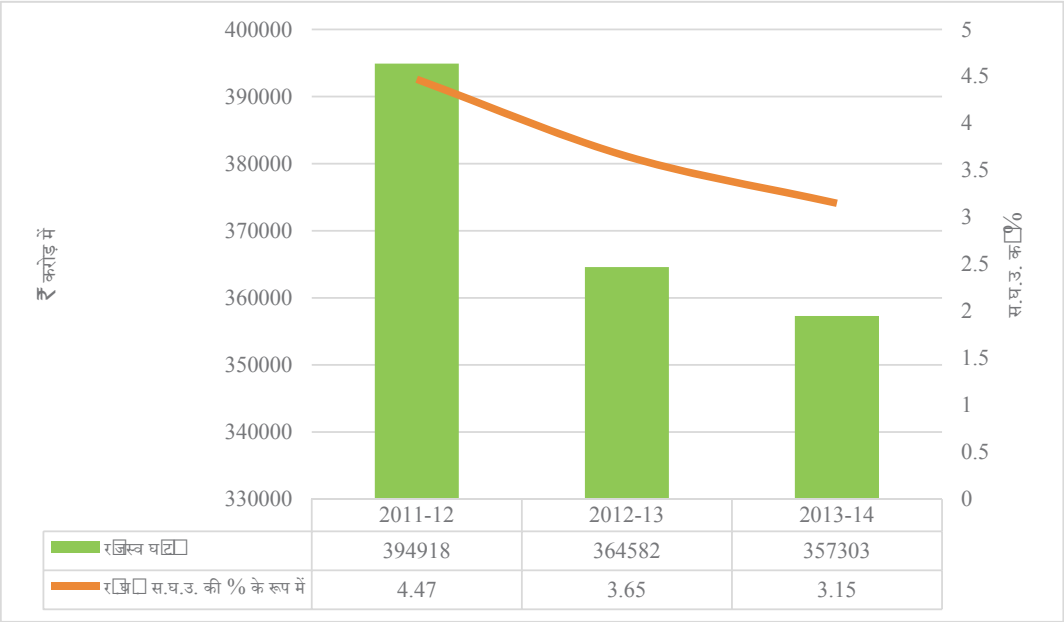

(ख) राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों के ऊपर वास्तविक व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के अपेक्षित उधारों तथा इसके बकाया ऋण के प्रति वृद्धि को भी इंगित करता है। यह सामान्यत: सरकार की निवल वर्धनीय देयताओं अथवा राजस्व तथा व्यय के मध्य बजटीय अन्तर को पाटने के लिए इसके द्वारा लिए गए अतिरिक्त लोक ऋण को प्रस्तुत करता है। कमी को अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाह्य) या लोक लेखे से अधिशेष निधियों के प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है। मुख्य राजकोषीय मापदंडों के सापेक्ष घाटे की अधिशेष प्रवृत्ति के साथ साथ राजकोषीय घाटा प्रवृत्ति **तालिका 1.16** में इंगित की गई है।

तालिका 1.16: राजकोषीय घाटा तथा इसके मापदण्ड

अवधि	गैर ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा		
	(₹ करोड़ में)			स.घ.उ.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वास्तविक व्यय
2011-12	965183	1483064	517881	5.86	53.66	34.92
2012-13	1108404	1602918	494514	4.95	44.61	30.85
2013-14	1271711	1774941	503230	4.44	39.57	28.35

समग्र राजकोषीय घाटा 2011-12 में ₹ 5,17,881 करोड़ था। राजकोषीय घाटे में, 2012-13 में 4.95 *प्रतिशत* की तुलना में चालू वर्ष में स.घ.उ. के 4.44 प्रतिशत का सुधार देखा गया। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे से स.घ.उ. के अनुपात में सुधार मुख्य रूप से वास्तविक संवितरण में 10.73 *प्रतिशत* की वृद्धि के विरूद्ध कुल गैर-ऋण प्राप्ति में 14.73 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था।

चार्ट 1.22 राजकोषीय घाटा एवं इसके मापदण्ड

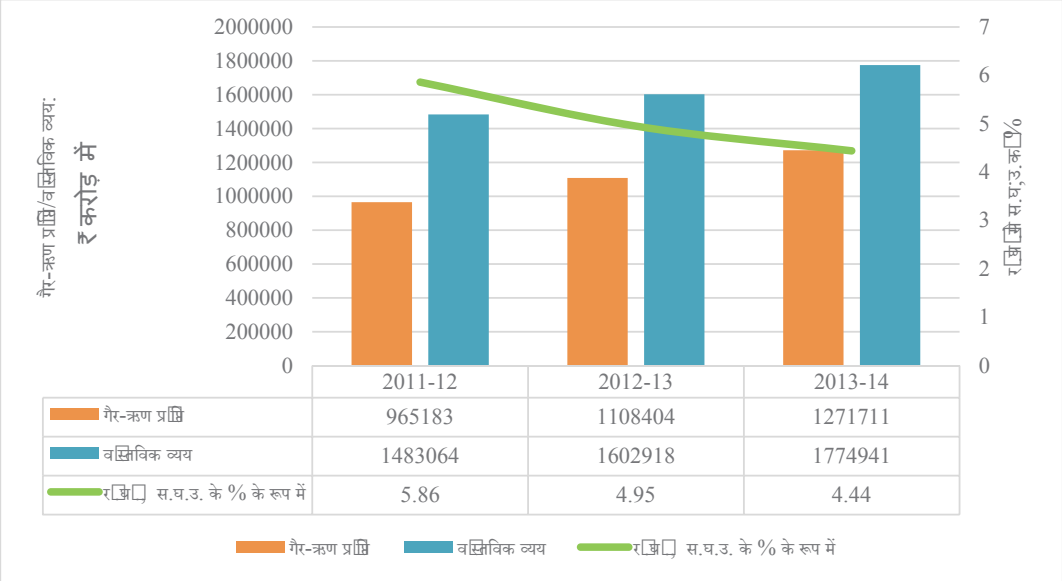

यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश वास्तविक व्यय भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए अथवा पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों को वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है। **तालिका 1.17** 2011-14 अवधियों हेतु राजकोषीय घाटे के संघटकों की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.17: राजकोषीय घाटे के संघटक

(प्रतिशत में)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियां
2011-12	76.26	23.44	0.30
2012-13	73.73	25.17	1.10
2013-14	71.00	27.72	1.28

जैसाकि उपरोक्त **तालिका 1.17** से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटे का बड़ा भाग राजस्व घाटे को वित्तपोषित करने के प्रति जाता है। 2011-14 के दौरान राजकोषीय घाटे के घटक के रूप में निवल पूंजीगत व्यय के संबंधित अंश में थोड़ा सा सुधार था। निवल पूंजीगत व्यय को 2013-14 में राजकोषीय घाटे के 29 *प्रतिशत* तथा राजस्व घाटे के प्रति 71 *प्रतिशत* बताया गया। प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि सरकार के चालू राजस्व (गैर-ऋण प्राप्ति) का एक वृहत *प्रतिशत* ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन भुगतान (प्रतिबद्ध व्यय के घटक) में खर्च हो जाता है। यह 2013-14 के लिए कुल गैर-ऋण प्राप्ति के 47.49 *प्रतिशत* के स्तर पर ही रहा।

निम्न **तालिका 1.18** वर्ष 2013-14 में पूर्व वर्षो में बजट के साथ रखे गए मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणों (म.अ.रा.नि.वि.) में मुख्य राजकोषीय मापदंडों-राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लिए तय किए गए लक्ष्य प्रस्तुत करती है बजट 2012-13 में, वर्तमान वर्ष में राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में वृद्धि 0.7 तथा 1.0 प्रतिशत थी, जो आगे 2013-14 के अनुमानों में क्रमश: 3.3 तथा 4.8 प्रतिशत तक बढ़ी थी। वास्तविक संदर्भ में, राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा दोनों बजट अनुमानों 2013-14 में दर्शाई गई निर्दिष्ट सीमा से नीचे था।

तालिका 1.18: रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अन्तर्गत लक्ष्यों के समक्ष परिणाम
(स.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)

राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी.वि. 2011-12 में वर्ष 2013-14 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2012-13 में वर्ष 2013-14 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. में बजट अनुमान 2013-14	वास्तविक स्तर
राजस्व घाटा	2.1	2.8	3.3	3.15
राजकोषीय घाटा	3.5	4.5	4.8	4.44

(ग) प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा कर मापा जाता है। यह वर्तमान वर्ष के राजकोषीय परिचालन का मापक है जिसमें पूर्व में उधार ली गई राशियों के कारण सृजित ब्याज भुगतान की देयता शामिल नहीं है।

पिछले पॉच वर्षों के प्राथमिक घाटे की प्रवृत्ति **तालिका 1.19** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.19: प्राथमिक घाटा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल ब्याज भुगतान*	प्राथमिक घाटा	स.घ.उ. के प्रतिशत में
2011-12	517881	286982	230899	2.61
2012-13	494514	330171	164343	1.65
2013-14	503230	395200	108030	0.95

* ऋण की कटौती या परिहार पर व्यय सम्मिलत है।

1.5.2 बाह्य ऋण: अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

31 मार्च 2014 को, अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता ₹2,20,277 करोड़ थी। **चार्ट 1.23** विभिन्न स्रोतों से बाह्य सहायता का वर्ष-वार कुल अनाहरित शेष दर्शाता है। सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास (₹39,661 करोड़), परमाणु ऊर्जा (₹30,110 करोड़), सड़कें (₹28.586 करोड़), रेल (₹20,275 करोड़), विद्युत (₹17,112 करोड़), जल संसाधन प्रबंधन (₹12,520 करोड़) एवं पर्यावरण तथा वानिकी (₹11,634 करोड़) क्षेत्रों में बड़े अनाहरित शेष थे।

चार्ट 1.23: अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

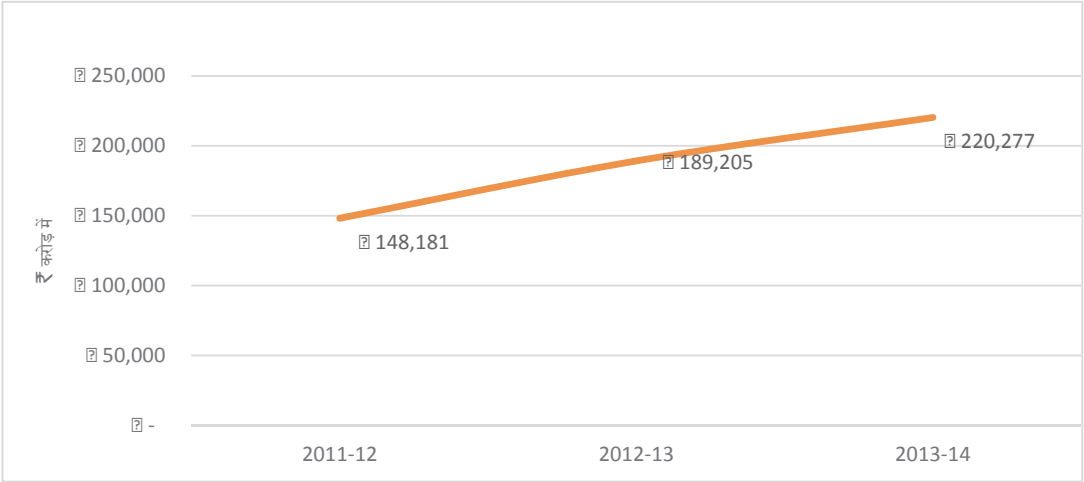

अनाहरित बाह्य सहायता पर प्रतिबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निधारित मूल राशि पर दिये जाते हैं। चूंकि प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। **तालिका 1.20** सहायता राशि के बाद की तिथियों में आहरण के पुनर्निधारण के लिए तीन वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न निकायों/सरकारों को भुगतान किए गए प्रतिबद्धता प्रभारों को दर्शाती है।

तालिका 1.20: प्रतिबद्ध प्रभार

(₹करोड़ में)

वर्ष	ए.वि.बैं.	जापान	जर्मनी	अ.वु.वि.बैं.	कुल
2011-12	42.30	20.82	6.24	13.92	83.28
2012-13	47.18	25.67	7.43	12.24	92.52
2013-14	47.46	49.99	9.78	10.09	117.32

स्रोत: सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक

ए.वि.बैं. = एशियाई विकास बैंक

अ.पु.वि.बैं. = अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

यह निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करते हैं जिसका परिणाम 2013-14 में ₹117.32 करोड़ के प्रतिबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

1.6 संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, संघ सरकार ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटियॉ दे सकती हैं, यदि कोई है, जो विधि से संसद द्वारा निर्धारित की

गई है। संघ सरकार द्वारा (i) उधारों का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज का भुगतान (ii) अंश पूंजी का पुनर्भुगतान तथा न्यूनतम लाभांश का भुगतान (iii) सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ शासित क्षेत्रों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों आदि के लिए क्रेडिट आधार पर सामग्रियों तथा उपकरणों के आपूर्तियों हेतु करार के प्रति भुगतान आदि गारंटी दी जाती है। यह गारंटियॉ भा.स.नि. पर आकस्मिक देयता स्थापित करती है। 31 मार्च 2014 को बकाया कुल गारंटियॉ ₹2,49,503 करोड़ थीं।

संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि सभी जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जहां गारंटियां परम्परागत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, वहां चूक होने की स्थिति में, सरकार के ऋणों में वृद्धि की सम्भावना रहती है। अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता, इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और गारंटियों को आह्वान किए जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में गारंटियों का मामला महत्वपूर्ण हो जाता है। चार्ट 1.24 तथा तालिका 1.21, 2011-14 वित्तीय वर्षो के अन्त तक गारंटियों की अधिकतम राशि, बकाया गारंटीकृत राशियां तथा बकाया बाह्य गारंटियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।

चार्ट: 1.24 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

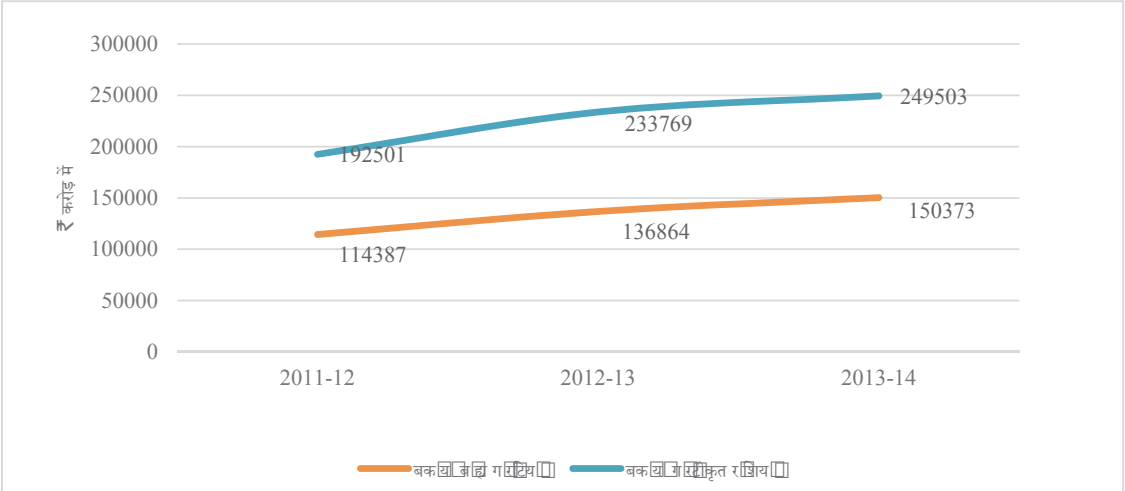

तालिका 1.21: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹करोड़ रूपयों में)

	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि	बकाया बाह्य गारंटियां	कुल बकाया गारंटियों के प्रतिशत के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011-12	203056	192501	114387	59.42
2012-13	242915	233769	136864	58.55
2013-14	270629	249503	150373	60.27

गारंटियॉ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से उधार लेने अथवा सा.क्षे.उ. को बाजार से मुद्रा उधार लेने योग्य बनाने हेतु दी जाती है। 2013-14 में, 31 मार्च 2014 तक बकाया गारंटीकृत राशि (₹2,49,503 करोड़) में से 60 *प्रतिशत* विदेशी कर्जदाता संस्थाओं को गईं, 29 *प्रतिशत* आर.बी.आई./बैंकों/ औद्योगिक वित्त निगमों आदि को मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नगद क्रेडिट सुविधा आदि के लिए तथा शेष 11 *प्रतिशत* शेयरपूंजी के पुनर्भुगतान के लिए, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान हेतु तथा बंधपत्रों, उधारों एवं डिबेंचर/काउण्टर गारंटी आदि के लिए गई। वित्त मंत्रालय द्वारा मुख्य मंत्रालयों/विभागों जिनको गारंटी प्रदान की गई उनमें से उपभोक्ता मामलों, आर्थिक कार्य, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा एवं स्टील के मंत्रालय/विभाग थे। मंत्रालयों द्वारा अद्यतन गारंटी रजिस्टरों का अनुरक्षण सरकार के जोखिम की प्रमात्रा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 के नियम 3(3) में अनुबंधित है कि केन्द्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किसी भी वित्तीय वर्ष में स.घ.उ. के 0.5 *प्रतिशत* से अधिक गारंटियां नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रा.उ.ब.प्र. नियम 2004 के नियम 6(1)(व) के अनुपालन में केन्द्र सरकार के लिए राजकोषीय संचालन में वृहत् पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय गारंटियों के संदर्भ में प्रकटीकरण आवश्यक है। प्राप्ति वजट 2014-15 में संलग्न इस प्रकटीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा ₹55,062,03 करोड़ की गारंटियॉ स्वीकृत की गई थी, जो अनुमानित स.घ.उ. के 5 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत थी। आधार वर्ष 2011-12 के स.घ.उ. के नई श्रेणी के अनुसार 2013-14 के दौरान स्वीकृत गारंटियॉ भी 0.5 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत

थी।किसी वित्तीय वर्ष के अन्त में वह गारंटी जो बकाया है उसे आगामी वर्षों में आगे लाया जाएगा क्योंकि उसे कभी भी भुनाया जा सकता है। किसी विशेष वर्ष में गारंटी भुनाए जाने की संभाव्यता के जोखिम अनुमान इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी विशेष वर्ष में गारंटी राशि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते हैं।

2013-14 में, कुल बकाया गारंटियॉ स.घ.उ. का 2.20 *प्रतिशत* तथा 2013-14 में संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 20.49 *प्रतिशत* थीं।